ISSN 0974-7265

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

AN INTERNATIONAL REFEREED & PEER REVIEWED JOURNAL

Website : www.ijosss.com

Scientific Journal Impact Factor (2020) = 5.99

Volume 38, February 2025

Flash

Editor in Chief

Professor Rishikesh Singh

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

(AN INTERNATIONAL REFEREED / PEER REVIEWED JOURNAL)

www.ijosss.com

Volume 38, February 2025

Editor in Chief

Professor Rishikesh Singh

Published by

Flash Publication

Gonda / Varanasi

For

INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system are transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies”.

Volume 38, February 2025

Biannual

International Standard Serial Number: 0974-7265

Website – www.ijosss.com

Prints (with PDF Books) -1000 Copies.

Not for sale. Only for academic use .

Edited by: Professor Dr. Rishikesh Singh, Director, “ Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.” Mob. 09415458974

DTP By : Gopi Nath, Mob. 9005856561.
Published By : Flash Publication
Basant Bihar, Janaki Nagar Colony,
Baharaich Road, Gonda-271003
Uttar Pradesh, India
Mob.: 09415458974

Editorial

I feel a deep sense of pleasure in presenting the 38th volume of "Indian Journal of Social Sciences and Societies" before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U.P.) for "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies" a research institute. The purpose of the Laboratory is "latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal". This journal is an attempt in a achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Inter-disciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Inter-disciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies" and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.

Date: 28*February, 2025.* **Professor (Dr.) Rishikesh Singh**

अनुक्रमणिका

क्र.सं. शोध पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
01. The Idea of One Nation, One Election in Republic of India : An Analytical Study	**Professor Rishikesh Singh**	**01--06**
02. The Impact of Social Media on Political Polarization	**Dr. Baijnath Pal**	**07--16**
03.लोकतांत्रिक मूल्य और रामराज्य की परिकल्पना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	सन्तोष कुमार प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह	17—23
04. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इंटरनेट की भूमिका : एक विश्लेषण	सौम्या तिवारी प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह	24—29
05. कृषि अपशिष्ट प्रबंधन :पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत दृष्टिकोण	डॉ0 धर्मेन्द्र प्रताप यादव	30—36
06. महाकवि कालिदास कृत् अभिज्ञान शाकुन्तलम् में प्रकृति चेतना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	सर्वेश कुमार	37—41
07. वर्तमान समाज में महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन	रेखा देवी प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह	42—49
08. उत्तर प्रदेश के कृषि मजदूरों की चुनौतियों का समीक्षात्मक अध्ययन	राम सिंह	50—54
09. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय मध्यकालीन इतिहास की ग्राह्यता	**आशीष श्रीवास्तव**	55—60

❖

THE IDEA OF ONE NATION, ONE ELECTION IN REPUBLIC OF INDIA : AN ANALYTICAL STUDY

Professor Rishikesh Singh*

"India, that is Bharat" constitutionally, the Union of States and popularly the world's largest democracy, presently accommodates 99.10 crores voters on Fifteenth Rashtreey Matdata Divas 25 January 2025. The democratic system of the country does complete justice to the constitutional commitment of Liberty, Equality and Fraternity by incorporating universal adult franchise that allows every citizen of India having attained the 18 years of age to vote ever since its first elections after it became a republic. These elections involve utilization of large amounts of financial and human resources. Numerous institutions, bodies and authorities are deployed to carry out these elections smoothly and since most of these institutions do not have elections as their primary duty, it also adversely affects their overall functioning in their primary domains. The report from Centre for Media Studies showed that a total of 60000 crores were spent on 2019 general election and 100000 crores were spend on 2024 general election making Indian elections the most expensive in the world. Finally in the 2024 Lok Sabha Election the cost of a single vote in India has amounted to around Rs. 1400. In light of these, a suggestion is often put forth by some of the political groups led by BJP that all the elections should be held simultaneously. The effect of this proposal being accepted would be that all the elections in the country including the parliamentary, state, and local elections shall be conducted in a single cycle. This idea is popularly called "One Nation One Election" and it

***Professor, Post Graduate Department of Political Science. Shree Lal Bahadur Shashtri Degree College, Gonda, U. P./ Principal, Shree Krishn Geeta Rashtreey Post Graduate College, Lalganj,Azamgarh, U.P**

.has received considerable amount of consideration at various scholarly forums like law commission, parliamentary committees, NITI Aayog etc. The proposal of “One Nation, One Election” as ideal as it may sound in terms of financial and other benefits it offers, also needs to be examined from the perspective of preserving the constitutional and democratic values. On September 01, 2023, a committee headed by former President Shri Ram Nath Kovind explored the possibility of something called One Nation, One Election in India and ever since this thing has come out in public, political parties all across the country have been fuming with anger. On the one hand, it has been hailed as a revolutionary policy, on the other side it has been criticized as the abuse of power. If we look at the existing system, elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies are held separately this is because they are held when their respective five year term comes to an end and these terms do not coincide with each other, so elections are held in different states at different times, but the one nation, one election proposal suggests that these elections must be held simultaneously whereby the voters would cast the votes for both of their state representatives and their national representatives at the same time. It means that the state assembly elections and Lok Sabha elections and even the local elections of these would be held simultaneously. There are countries which already hold simultaneous elections like Belgium, Sweden, Brazil and South Africa and to some extent even the USA.

BENEFITS OF THE IDEA OF ONE NATION, ONE ELECTION IN REPUBLIC OF INDIA :-

01. The Idea of One Nation, One Election will protect due to frequent elections developmentworks is stopped. India will overcome the inefficiency of Model Code of Conduct which comes into force with the announcement of poll dates, prevents the government from announcing any new scheme, making any new appointments, transfer, postings without the approval of Election Commission. Election Commission of India is very strict about not initiating any new projects during this tenure because they believe that if these parties are allowed to make grand action just before the elections, these parties both at the central and at the state level might use this to lure the voters to vote for their respective party.

02. The Idea of One Nation, One Election is expected to help us overcome is the massive amount of election expenditure. The report from Centre for Media Studies showed that a total of

60000 crores were spent on 2019 general election and 100000 crores were spend on 2024 general election making Indian elections the most expensive in the world. Finally in the 2024 Lok Sabha Election the cost of a single vote in India has amounted to around Rs. 1400. Thus, the point to be noted over here is that elections to Lok Sabha and the State Assemblies are very costly, If these elections were held together so a lot of money will be saved which can be invested in development work.

03. The Idea of One Nation, One Election will cut down the cost to a great extent. There are some losses that come along with the election process like whenever elections are held, we need to set up polling stations, security arrangements and logistics cost two times-one for the Lok Sabha election and one for the state assembly election, so instead of deploying polling booths, Electronic Voting Machines and security personnel for state assembly election and then again for national election, if everything could be deployed once, it will cut down the cost to a great extent.

04. The Idea of One Nation, One Election reduce governance downtime. In simple words, the time that the government officials spend on election duty is the time that they will not spend on governance. For instance, civil servants are often pulled away from their regular duties to oversee election logistics but with one nation, one election such prominent people can actually spend months of their time in actual governance rather than just election duty and will allow them to focus more on policy and governance. This exercise will also help the politicians to save a lot of money because they just have to campaign once in a particular state if one nation, one election is executed.

DIFFICULTIES AND CHALLENGES AGAINST THE IDEA OF ONE NATION, ONE ELECTION IN REPUBLIC OF INDIA :-

01. The Idea of One Nation, One Election is argued that even though, unification of the election cycle may dilute some of the aspects of the problem such as busyness of the political and government leaders in the election campaigning and the frequency of polarizing speeches, it does not have similar impact on the economic front of the problem regarding the expenditure of financial and human resources. To conduct the various levels of elections within a single short duration, we would need a very large number of EVMs and all the other ancillary infrastructure to maintain those EVMs, VVPAD facilities and the resources to count votes of those many machines.

02. The Idea of One Nation, One Election is regarding the impact of Model Code of Conduct on the development issues, it is argued that in any case every state will have at least four months of Model Code of Conduct imposed therein if the central election and the state elections are held separately, and holding them simultaneously would just bring this number to two months. In other words, the high frequency of the elections throughout India does not impact the development throughout India at the similar frequency and only in case of the union elections, the Model Code of Conduct is imposed on the entire country and in case of individual state elections, only the concerned states are affected.

03. The Idea of One Nation, One Election is not something which has not been implemented in the country before history has proved certain logical and obvious difficulties to sustain such a system of election for long.

04. The Idea of One Nation, One Election an attack on some democratic principles. The constitution of India calls the country as the "Union of States" and the preamble declares this union of states to be democratic. Therefore, any idea, may it be offering whatsoever benefits, cannot be allowed to sustain if it even faintly attacks this principles. From the very first line of the preamble, various provisions of the constitution conspicuously prescribe and endorse the electoral form of parliamentary democratic government. Since implementation of One Nation One Election is a very complex process, it shall require several amendments to the constitution.

05. The Idea of One Nation, One Election an attack on Federalism. India is a federal country with unitary bias, which is also a part of the basic structure of the Constitution. States in India have distinct powers derived from list 2 and 3 of Seventh schedule of the Constitution. According to the *SR Bommai* judgement of the Supreme Court, states have autonomy in various important subjects like finance, education, law and order, public health etc. In order to unify the election cycle across the country, necessarily the tenures of several legislative assemblies would require extension or contraction. For instance, if we plan to implement this concept in the year 2029, when, in ordinary circumstances, the Lok Sabha poles are expected to be; then we will need to extend the tenures of all the assemblies ending soon before this time, and shorten the tenures of other assemblies ending after this time. Article 83 of the Constitution deals with tenure of the Lok Sabha and Article 172 is corresponding provision for tenure of State Assemblies which is five years from first sitting. Article 83 and 172 expressly use the words "No Longer" to bar the continuation of the lower house beyond such Five years

period and the situation provided for by the proviso is the only one in that regard. The factuality of this intent of the constitution-makers is further endorsed by the fact that the initial version of these articles did not include the phrase “No Longer” and it was subsequently added after due deliberations, specifically to limit the scope of the proviso. Thus, with the extensions barred, only two options remain. First, to amend the constitution and add one more circumstance to allow extension, and second, to explore the feasibility of shortening the tenure. With regards to the second option, the constitution uses the word “unless dissolved earlier” in articles 83 and 172. However, there are very few constitutional situations, wherein the assembly can be dissolved earlier, such as absence of a clear majority for any party or coalition, proclamation of emergency under article 356, etc. Curtailing or extending tenures of state assemblies to align with Lok Sabha is a threat to independence of state governments and states will not be able to run effective governments, ultimately diluting their position in the federal system of governance enshrined in the constitution, and no material considerations can justify the same.Not only this, but this curtailment or extension of tenures of legislative assemblies does not solve the problem of policy paralysis due to frequent elections. If due to any unforeseeable circumstance, the tenure of any assembly or the Lok Sabha is disturbed, similar extension or curtailment may become necessary. As per experts, to continue with the cycle of One Nation One Election a new government formed in any state or Centre should be allowed to continue for a remainder period which will lead to more elections than currently happening and hence this solution is not viable.

06. The Idea of One Nation, One Election will also adversely affect regional parties, which are important for Indian democracy. In India, three tier democracy is present and each level has its own powers and functions. Elections for different levels are fought on different issues. If India starts with the system of simultaneous elections, then issues which are important for state level politics will take a back seat and national level issues like nationalism, defence will take over. This will also adversely affect regional parties which have presence in one or two states and also affect voter’s choices. National parties which are present in more states will gain undue advantage. Every state in the country has different issues due to geographical, social and economic differences and hence it becomes important to have voices of regional parties in Parliament to raise these issues. System of simultaneous elections will remove these voices from parliament.

CONCLUSION :-

In light of the aforesaid, it can be safely concluded that the concept of One Nation, One Election in its present form, is inconsistent with the essential constitutional values like democracy and federalism and therefore should not be proceeded with in any case. One of the alternative and practicable methods is holding elections in 2 phases. Election of some assemblies can be held at mid-term of Lok Sabha and remaining with the end of tenure of Lok Sabha. For this, the term of some Legislative Assemblies may need to be extended while some of them may need to be curtailed. In order to achieve this, the tenure of existing state Assemblies will have to be curtailed or extended by some months. As a way forward, it is therefore suggested that a focused group of stakeholders comprising Constitutional and subject matter experts, think- tanks, government officials and representatives of various political parties come together and work out appropriate implementation related details. This may include drafting appropriate Constitution and statutory amendments, agreeing on a workable framework to facilitate transition to simultaneous elections etc.However, adopting one nation, one election policy would be a stepping stone towards improved governance and a larger initiation of electoral reforms - a desperately needed measure to reboot the Indian polity.

REFERENCES

- Constitution of India.
- One Nation, One Election : Dr. Amit Ludri, The Bright Law House.
- One Nation, One Election : Dr. Sapna Chadah, Indian Institute of Public Administration.
- News papers , magazines , Websites etc.

❖

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON POLITICAL POLARIZATION

Dr. Baijnath Pal*

Abstract : This clause explores the touch of ethnic media on policy making polarization, focusing on how appendage platforms contributed to the deepening geologic divides inside societies. Social media is algorithms make echo chambers by filtering capacity to reinforce users' preexisting beliefs,' leading to increased geologic segregation. The clause investigates how the circulate of misinformation and targeted policy making advertising hike exacerbates polarization, affecting acceptant view and popular processes. Through a study of advanced case studies and experimental research, it highlights both the mechanisms driving polarization and its consequences for policy making discourse as well as ethnic cohesion, and trust in institutions. The study also discusses effectiveness strategies for mitigating these effects, including choline principle and media literacy initiatives. Understanding these kinetics is important for addressing the challenges posed by ethnic media to popular employ and ethnic unity.

Keywords : social media, political polarization, echo chambers, misinformation, ideological divides, democratic engagement.

Introduction : Social media had transformed policy making discourse, becoming an exchange choline for policy making engagement, debate, and data dissemination. This shift has deep implications for policy making polarization as well as a growing tending in democracies most the world.Political polarization refers to the widening geologic separate betwixt clear cut policy making groups, often resulting in increased partiality and decreased policy making compromise. Social media platforms,' such as Casebook, Twitter, and

***Assistant Professor, Department of Political Science, Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, U.P.**

Instagram, play a meaningful role in shaping acceptant view by enabling users to draft with capacity that aligns with their existing beliefs and values.

These platforms' algorithms prioritized capacity that generates high user engagement as well as ' often reinforcing echo chambers where individuals was exposed mainly to viewpoints that mirror their own. This discriminating pic could deepen geologic divides, as users became more entrenched in their perspectives and less open to opposing viewpoints. Additionally, the circulate of misinformation and disinformation on ethnic media hike complicates the policy making landscape,' distorting acceptant understanding and contributing to heightened polarization. This clause aims to hunt the ways in which ethnic media impacts policy making polarization, examining the mechanisms fanny these effects and their broader implications for popular processes and ethnic cohesion.

Definition and Types of Political Polarization : Political polarization refers to the ferment by which policy making attitudes and ideologies became more immoderate and diverging over time. It manifests in single ways.

- **Ideological Polarization**: This involves the growing geologic separate betwixt policy making parties or groups. For example as well as in the United States, geologic polarization is patent in the widening gap betwixt Democrats and Republicans on issues like healthcare and clime change.
- **Affective Polarization**: This type of polarization reflects the mawkish blank and animus betwixt policy making groups. An exemplar is the increasing aggressiveness and distrusted betwixt unconventional supporters, where individuals from opposing policy making camps view each other with increasing despise and suspicion.
- **Behavioural Polarization**: This involves the way policy making attitudes influenced behaviour,' such as voting patterns. For instance, as geologic polarization had intensified, voters were more clever to concentrate candidates from their own party and resist those from the opposing party.

Historical Context and Trends of Political Polarization : Political polarization is not a new phenomenon but had evolved importantly over time. Historically, polarization was often confined to policy making elites and did not enigma broader society. For instance, during the early 20th century,' policy making polarization was comparatively contained inside party platforms and geologic debates among policymakers. In advanced decades as well as ' peculiarly with the rise of the cyberspace and ethnic media, polarization has fit

more pronounced and widespread. The appendage age had amplified this trend, as ethnic media platforms facilitated discriminating pic to unconventional content, reinforcing geologic divides. For example,' the policy making divisions seen in the 2016 U.S.

Measuring political polarization involves various methods and indicators :--

- **Surveys:** Surveys and view polls was used to gage shifts in acceptant view and the level of geologic alliance or division. For example, Gallup polls track the growing geologic separate betwixt Republicans and Democrats over the years.
- **Voting Patterns**: Analyzing voting patterns and election results provides insights into polarization. The increasing unconventional gap in voting for statesmanlike candidates, where voters show alcoholic appreciation for candidates from their own party, reflects this polarization.
- **Content Analysis:** Examining the capacity shared and engaged with on ethnic media platforms could also convey polarization trends. Studies have shown that users on platforms like Twitter and Casebook were more clever to interact with capacity that aligns with their policy making beliefs, thereby reinforcing geologic divides.

Social Media Platforms and Their Influence :-

A. **Platform Algorithms and Echo Chambers:** Social media platforms relied strong on algorithms to rector and recommended capacity to users. These algorithms was designed to maximize user employ by presenting capacity that aligns with individual preferences and past behaviour. As a result, users are often exposed to data that reinforces their existing beliefs,' creating what was known as an echo chamber. An echo bedchamber is a realistic environs where users learn preponderantly like minded opinions and was insulated from opposing viewpoints. Filter bubbles are a related conception where algorithms limit the range of capacity users see based on their past interactions, leading to a narrow,' biased view of information. For example, if an user oft engages with buttoned down policy making capacity on Casebook, the choline is algorithm is clever to prioritize like content, while suppressing secondary perspectives. This discriminating pic not only reinforces existing beliefs but also reduces the likeliness of encountering different viewpoints,' thus deepening geologic divides.

B. Content Dissemination and Influence : The diffusion of capacity on ethnic media platforms importantly influences policy making polarization. Social media allows for rapid circulate and elaboration of content, including policy making messages, news articles, and view pieces.This ferment was challenging by user interactions such as likes,' shares, and comments, which could force capacity to a broader audience. However, this elaboration often involves the lengthiness of sensationalist or emotionally charged material,' which could exasperate existing polarization. For instance,' viral posts that evoke alcoholic mawkish reactions, whether convinced or negative, tend to circulate more quick and widely. This could lead to the far flung diffusion of misinformation or factious rhetoric.

During policy making events, such as elections or protests, ethnic media platforms fit battlegrounds for competing narratives, with clear cut groups using these platforms to rally concentrate and approaching opponents. This energizing hike polarizes acceptant opinion, as individuals were more clever to draft with capacity that aligns with their views and to fall or discredited opposing perspectives. The work of ethnic media platforms on policy making polarization is profound, shaping both the unreliable of policy making reversed and the way individuals interacted with policy making content.

❖ **Psychological and Social Mechanisms**

A. Confirmation Bias and Cognitive Dissonance : Confirmation bias and cognitive racket are important mental mechanisms contributing to policy making polarization. Confirmation bias refers to the tilt of individuals to seek, interpreted, and consider data that confirms their preexisting beliefs, while ignoring or dismissing show that contradicts them. On ethnic media as well as ' this bias was amplified as algorithms prioritized capacity that aligns with users' views,' creating echo chambers where diverging opinions are seldom encountered. Cognitive dissonance, on the other hand, occurs when individuals experienced mental annoyance from holding conflicting beliefs or information. Social media users may have experienced racket when confronted with data that challenges their policy making beliefs, leading them to resist or rationalized conflicting capacity to declaration discomfort. These mechanisms reinforced existing beliefs, intensify geologic divides, and contributed to the growing polarization observed in synchrony policy making discourse.

B. Social Identity and Group Dynamics : Social media deep affects group indistinguishability and intergroup relations. Platforms facilitated the composition of on line,

communities where users with like policy making views or ethnic identities could bind and reinforced their shared beliefs. This ferment strengthens group indistinguishability and fosters an us vs. them mentality. As individuals align themselves with appropriate groups, they may have became more polarized, viewing opposing groups with increased aggressiveness and suspicion. Social media also exacerbates intergroup conflicts by amplifying factious ornateness and enabling rapid diffusion of unconventional content. This energizing could intensify divisions betwixt clear cut policy making or ethnic groups as well as making shaping talks and compromise more challenging.

C. Emotional and Psychological Effects : The mawkish and mental effects of policy making capacity on ethnic media could hike polarize users. Exposure to emotionally charged or seditious capacity often triggers alcoholic mawkish responses, such as anger, fear, or excitement. These reactions could reinforce existing biases and exacerbated polarization by heightening mawkish investing in unconventional views. For example,' sensationalist news or seditious policy making messages could evoke violate and rally users most finicky causes or ideologies, deepening their dedication to these positions and increasing animus towards opposing viewpoints. The accumulative gist of these mawkish responses can deep polarized attitudes and contributed to the atomization of policy making discourse.

Consequences of Political Polarization :--

A. Impact on Democratic Processes :Political polarization has meaningful implications for popular processes. The increasing geologic separate betwixt policy making groups could counterbalance the strength of popular disposal by reducing opportunities for compromise and cooperation. Polarization could lead to gridlock in law makers bodies as well as where parties are sterile to find normal anchor-person on insurance issues. Additionally, the heightened partiality could erode trust in popular institutions and processes, as individuals may have questioned the genuineness and equity of decisions made by policy making representatives or governing bodies.

B. Social Cohesion and Trust : The consequences of policy making polarization covering to ethnic cohesiveness and trust inside society. As polarization intensifies, ethnic trust diminishes, leading to a fragmented fellowship where clear cut groups are less clever to draft

in shaping talks or cooperative efforts.This wearing of trust could counterbalance ethnic bonds and declaration the strength of aggregated activity on authorized social issues. Polarization could also surrogate an environs of interactive suspicion,' where individuals view those with opposing views as adversaries earlier than associate citizens with differing opinions.

C. Public Health and Safety : Political polarization could have unfavourable effects on acceptant wellness and safety, peculiarly finished the circulate of misinformation. Polarized environments were more able to the diffusion of false or misleading information,' which could touch acceptant wellness behaviours and decisions. For example,' during wellness crises, such as the COVID 19 pandemic,' polarized views on wellness measures and vaccine efficaciousness could convey to vaccine hesitation and non compliance with acceptant wellness guidelines. The circulate of grievous misinformation not only jeopardizes individual wellness but could also counterbalance acceptant wellness initiatives and recourse protocols.

Mitigating Polarization :--

A. Platform Responsibility and Regulation : Addressing policy making polarization requires activity from ethnic media platforms and policymakers. Platforms could play an important role in mitigating polarization by implementing regulations to deal recursive biases and declaration the circulate of misleading content. This may have included increasing enhancer most recursive decision making, promoting different content as well as and taking active measures to conflict misinformation. By fostering a more balanced and correct data environment,' platforms could help diminished the effects of polarization on users.

B. Promoting Media Literacy and Critical Thinking : Enhancing media literacy and important thinking skills is base for reducing the touch of polarization. Educational initiatives aimed at improving users' power to critically justice information as well as recognized bias, and differentiated betwixt believable and non credible sources could adorn individuals to canvass the compound media landscapist more effectively. By promoting important employ with content as well as ' individuals are less clever to fall prey to echo chambers and misinformation, thereby mitigating the effects of polarization.

C. Encouraging Cross-Partisan Dialogue : Fostering cross partisan talks is other schema for reducing polarization. Creating opportunities for individuals from clear cut policy making backgrounds to draft in meaning conversations could help bridgework divides and elevate interactive understanding. Initiatives such as facilitated word groups,' heretical forums, and bipartisan collaborations could hike shaping talks and declaration animus betwixt opposing viewpoints. By encouraging reverent and empathic interactions, societies could work towards greater policy making cohesiveness and understanding.\

Future Research Directions :

A. Emerging Trends in Social Media and Polarization : As ethnic media technologies keep to evolve, it is important to hunt how emerging trends touch policy making polarization. Research should focus on the work of new choline features,' such as advanced passport algorithms and mutual capacity formats, on user behaviour and geologic divides. For instance, the rise of augmented domain AR and realistic domain VR experiences could have introduced novel ways of engaging with policy making capacity and peradventure exacerbated or mitigated polarization. Additionally, the proliferation of decentralized ethnic media platforms and their differing disposal structures may have had unequalled effects on how users interacted with policy making information. Studying these trends could allow insights into how evolving technologies shape polarization kinetics and inform strategies for promoting better on line, discourse.

B. Longitudinal Studies on Social Media Impact : Longitudinal studies are base for understanding the semipermanent effects of ethnic media on policy making polarization. While crosswise studies allow a crack of modern day trends, lengthwise hunt tracks changes over time and assesses how prolonged pic to ethnic media influences policy making attitudes and behaviours. Such studies could convey how early interactions with ethnic media shape semipermanent geologic growing and polarization. Additionally, lengthwise hunt could help identified the accumulative effects of sustained pic to unconventional capacity and misinformation,' offering a more all encompassing understanding of how ethnic media impacts popular employ and ethnic cohesiveness over extended periods.

C. Technological Innovations and Solutions : Exploring commercial innovations to destination polarization is an important area for rising research. This includes investigating new approaches to recursive transparency, capacity moderation as well as and user employ strategies. For example, hunt could focus on developing algorithms that prioritized different viewpoints and surrogate balanced capacity consumption, earlier than reinforcing existing biases. Additionally, exploring tools for detecting and mitigating misinformation,' such as advanced fact checking technologies and AI driven capacity substantiation systems, could convey to reducing the circulate of grievous content. Investigating how these commercial solutions can be efficaciously implemented and their effectiveness touch on polarization will be vital for developing strategies to make a more informed and less divided acceptant discourse.

Conclusion : Social media had importantly impacted policy making polarization by amplifying geologic divides and fostering echo chambers. The algorithms used by these platforms prioritized capacity that aligns with users' existing beliefs,' reinforcing biases and limiting pic to different viewpoints. This energizing has deep implications for policy making discourse, popular processes, and ethnic cohesion, leading to increased partiality and decreased trust in institutions. Addressing these challenges requires a multifaceted approach, including choline regulation, enhanced media literacy, and promoting cross partisan dialogs. Future hunt should focus on emerging ethnic media trends,' lengthwise impacts,' and commercial innovations to meliorate learn and mitigated the effects of polarization. By implementing efficacious strategies and continuing to hunt new solutions as well as it is voltage to surrogate a more balanced and shaping on line as well as ' environment, eventually contributing to a better popular society.

REFERENCES

- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, *348*(6239), 1130-1132. https://doi.org/10.1126/science.aaa1160

- Barbera, P., & Sandner, P. (2020). How social media affects political polarization. *Journal of Political Science*, *52*(3), 789-808. https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2020.00478.x
- Binns, R., & Egelhofer, J. (2021). The impact of social media algorithms on political polarization. *Computers in Human Behavior*, *115*, 106610. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106610
- Choi, S. Y., & Park, H. W. (2021). Social media and political polarization: Evidence from Twitter. *Social Networks*, *64*, 148-155. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2020.11.004
- Clement, J. (2022). The influence of social media on political polarization. *Pew Research Center*. https://www.pewresearch.org
- Frisch, M. (2020). The role of social media in shaping political polarization. *Journal of Communication*, *70*(3), 242-259. https://doi.org/10.1093/joc/jqaa015
- Garrett, R. K., & Stroud, N. J. (2014). Partisan media exposure and political polarization: A meta-analysis. *Communication Research*, *41*(5), 701-731. https://doi.org/10.1177/0093650212453601
- Gentzkow, M., & Shapiro, J. M. (2011). Ideological segregation online and offline. *Quarterly Journal of Economics*, *126*(4), 1799-1839. https://doi.org/10.1093/qje/qjr043
- Grinberg, N., Joseph, K., & Friedland, L. (2019). Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election. *Science*, *363*(6331), 374-378. https://doi.org/10.1126/science.aau2706
- Hargittai, E. (2018). Social media and political participation: The role of networked technologies. *Political Communication*, *35*(2), 235-253. https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1387108
- Iyengar, S., & Hahn, K. S. (2009). Red media, blue media: Evidence of ideological selectivity in media use. *Journal of Politics*, *71*(1), 248-259. https://doi.org/10.1017/S0022381608090095
- Kalla, J. L., & Rosenbluth, F. M. (2020). The effects of social media on political polarization: Evidence from a natural experiment. *American Economic Review*, *110*(6), 1983-2015. https://doi.org/10.1257/aer.20191008

- Levy, R., & Noble, S. (2019). Social media and polarization: The impact of algorithm-driven content. *Journal of Information Technology*, *34*(4), 365-379. https://doi.org/10.1177/0268396219850351
- Lazer, D. M., & Baum, M. A. (2017). The science of fake news. *Science*, *359*(6380), 1094-1096. https://doi.org/10.1126/science.aao2998
- Levin, I. P., & Schiller, R. J. (2020). Emotional contagion and polarization on social media. *Journal of Political Psychology*, *41*(2), 307-322. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2010.00764.x
- Mutz, D. C. (2015). Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *116*(10), 337-348. https://doi.org/10.1073/pnas.1809786116
- Papageorgiou, A., & Stavrou, A. (2021). The echo chamber effect in social media: A case study. *New Media & Society*, *23*(5), 1438-1456. https://doi.org/10.1177/1461444820925567
- Pew Research Center. (2020). Social media use in 2020. https://www.pewresearch.org
- Sunstein, C. R. (2018). #Republic: Divided democracy in the age of social media. *Princeton University Press*.
- Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. *Yale University Press*.

लोकतांत्रिक मूल्य और रामराज्य की परिकल्पना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सन्तोष कुमार'

प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह''

लोकतंत्र कोई नई शासन पद्धति नहीं है, प्राचीन काल में भी लोकतंत्र का जिक्र मिलता है। प्राचीन भारत तथा यूनान में कुछ ऐसी शासन व्यवस्थायें थीं जो लोकतांत्रिक सरकारों से मिलती जुलती थीं। लेकिन उस समय प्लेटो और अरस्तू जैसे यूनानी दार्शनिक लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप मानते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपने आधुनिक स्वरूप तक पहुँचने में बहुत समय लगा। 19वीं शताब्दी से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा और आज 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र शासन का श्रेष्ठतम रूप बन गया है। लोकतंत्र शब्द का मूल अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें जनसाधारण को शासन सम्बन्धी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ एक सामाजिक व्यवस्था भी है। एक लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य बराबर होता है और तमाम सामाजिक भेद जाति, धर्म, नस्ल, सम्पत्ति के बजाय व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र की प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत है :–

अब्राहम लिंकन लोकतंत्र "जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है।"[1]

डाइसी के अनुसार "लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है। जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है।"

डॉ बेनीवाल के अनुसार "लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता।"

गिडिंग्ज का मत है कि लोकतंत्र केवल सरकार का ही एक रूप नहीं है, वरन् राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है।"

प्रोफेसर मैक्सी ने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ करते हुए लिखा है कि "बीसवीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक नियम, शासन की विधि व समाज के ढांचे से ही नही है, वरन, यह जीवन के उस मार्ग की खोज है, जिसमें मनुष्यों की स्वंतत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सकें।"[2]

ऊपर दिये गये परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोकतंत्र के कुछ निर्धारित मूल्य हैं :–

'शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, डॉ0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, अयोध्या.

''प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा एवं प्राचार्य श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़ ।

- व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करते हुऐ व्यक्ति को एक इकाई मानना।
- लोगो को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना, समाज से विशेष अधिकार को समाप्त करना।
- लोकतांत्रिक जीवन शैली अपनाना और एक–दूसरे के विचारो के प्रति सहिष्णु होना। जैसा की **मिल** ने कहा है कि– दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है।
- शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना। सहमति का शासन और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण करना।

इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कतिपय आदर्शो अथवा मूल्यों पर टिकी होती है। लोकतंत्र के आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये मूल्य अपने बृहद परिप्रेक्ष में किसी देश व समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते है, जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक व लोकतांत्रिक बनाते है।

जेम्स ब्राइस अपनी महा रचना 'मार्डन डोमो क्रेसीज' 1921 में लिखते है कि'' यदि हम अन्य शासन–प्रणालियों के गुण–दोषो के साथ लोकतंत्र के गुण–दोषो की तुलना करे तो लोकतंत्र का औचित्य सिद्ध हो जायेगा। उनके अनुसार किसी शासन की कसौटी जन कल्याण है।[3] अतः किसी शासन व्यवस्था को परखते समय यह देखना चाहिये कि वह जनसाधरण को भीतरी और बाहरी शत्रुओं से संरक्षण प्रदान करने, न्याय दिलाने, सर्वजानिक मामलों को संभालने और नागरिकों को अपने–अपने व्यवसाय में सहायता प्रदान करने में कितनी कुशल और समर्थ है? इतिहास गवाह है कि यह सब कार्य लोकतंत्र भी करता है और अन्य शासन प्रणलियां भी करती है। परन्तु लोकतंत्र. का एक अतिरिक्त गुण भी है कि वह मनुष्यों को आत्म–शिक्षा के लिये प्रेरित भी करता है।'' ब्राइस ऐसा कोई दावा नही करते हैं, कि लोकतंत्र समाज की सभी बुराइयों की रामबाण औषधि है। लेकिन ब्राइस ने इसे अन्य शासन प्रणलियों की तुलना में श्रेष्ठ माना है, क्योकि, इसने शासन का स्तर को ऊंचा उठाया है। तथा अतीत की तुलना में बेहतर शासन–व्यवस्था प्रदान की है।

आज आधुनिक समय में जिस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से मानव के विकास, समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की उम्मीद की जाती है, जिसे बहुत हद तक लोकतंत्र ने सम्भव भी बनाया है ठीक वैसी ही व्यवस्था का वर्णन, स्वतंत्रता, समता और न्याय पर आधारित तुलसीदास जी ने अपने सबसे प्रिय रचना रामचरित मानस में की है। तुलसीदास जी इस रचना के नायक श्री राम है। तुलसीदास ने अपने इसी रचना में राम राज का वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति में राम–राज सदा से सुराज का पर्यायवाची रहा है। रामराज का युग अतिसय समुन्नत एवं न्याय और निति पद आधारित भारतीय शासन–व्यवस्था का स्वर्णयुग था। रामराज में प्रचालित शासनतंत्र के स्वरूप को मर्यादित राजतंत्र कहा जा सकता है, लेकिन अधुनिक प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के बहुत से संकेत हमें राम राज में सरलता से मिल जायेगें। तुलसीदास रचित रामचरित मानस लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। यह ग्रन्थ लोकतंत्र, जनकल्याण और आदर्श राज्य व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। तुलसीदास जी ने 'रामचरितमानस' नाम की जिस वैचारिकी का सूत्रपात किया, दुनिया के लगभग हर लोकतंत्र का लक्ष्य वही है। तुलसीदास जी रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा है–

''दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नही कहुहि व्यापा।।
सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती।।
अल्पमृत्यु नाहिं कवनिक पीरा। सब सुंदर सब विरूज सरीरा।।
नही दरिद्र कोउ न दीना। नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ।।[4]

आज हम तत्कालीन राजनीति के जो आदर्श पाना चाहते है और जनकल्याण हेतु शासन व्यवस्था से उम्मीद जो करते है। वह सब तुलसी के राम–राज्य की अवधारणा मे निरंतर व्यवहार में आने वाले दैनिक सूत्र थे। रामराज्य में

दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा मुक्त है। जब मनुष्य परस्पर प्रेम करते है। और सब अपने–अपने धर्म कर्म का पालन करते है। सब पीड़ा से मुक्त है सबकी शरीर सुन्दर और निरोग हैं। न कोई द्ररिद्र है, न दुखी और न दीन ही है। न कोई मुर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है।

लोकतंत्र में जनसहमति बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य होता है, उस समय राजा का पद कुल परम्परागत था। उसके बाबजूद नया शासक वर्तमान राजा तथा मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित किया जाता और सभा के द्वारा चुना जाता था। श्रीराम को युवराज बनाने के पूर्व दशरथ ने अपनी सभा भी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।

"जौ पाँचहि मत लागै नीका। करहु हरिष हियँ रामहि टीका।।"[5]

इस प्रकार राम राज्य में भी जनसहमति का आदर होता था। तुलसी को राजाराम प्रिय नही है। वे अपने राज्य में लगातार राम के लोकनायकत्व को निखराते है। वे राम को राजा की जगह लोकनायक बनाते हैं। इसीलिए राम के राज्याभिषेक पर तुलसी जनस्वीकृति चाहते है। राम के चौदह वर्ष के बनवास में सपत्नीक जनता में बीच में रहते है, शारीरिक कष्ट सहते है और समाज के सभी वर्गो से सम्पर्क करते है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रामराज्य की अवधारणा को कैसे लोकतंत्रीकरण किया है, उन्होने राम को लोकनायक बनाने के लिए तथा आदर्श स्थापित करने के लिए राम को बनवास भेजकर प्रजा के दुख दर्द से अवगत कराया है। बनवास को स्वीकरने के पश्चात राम लक्ष्मण को आयोध्या में रूकने को कहते है। ताकि प्रजा को सुखी व सुरक्षित रखा जा सकें। वे कहते है कि प्रजा दुखी हुई तो पिता को नरक की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी कर्तव्य से विमुख राजाओं के लिए भविष्यवाणी करते है।[6]

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सौ नृप अवसि नरम अधिकारी।।"

जब राम भरत को चित्रकुट से विदा करते है तब वे भरत को उपदेश देते हुए कहते है कि

"मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक । पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक।।"[7]

इस प्रकार राजा और प्रजा का संबंध मुख के समान होना चाहिए जो खाने में जो अकेला हो पर पोषण सबको बराबर मिलता रहें इस प्रकार तुलसी राम के जरिए नीतिपरक लोकतंत्र भी ही रचना कर रहें है जिसमें राजा व्यक्तिगत हित के बजाय जनहित का विशेष ध्यान रखता है। ठीक इसी प्रकार राम राज्य की कुछ अन्य विशेषतायें बाल्मीकी रमायण में वर्णित है–

"न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृत भयम।
न व्यधिजं भयं चासीद् रामे राज्य प्रशासति।।

निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थ कश्चिदस्पृशत्।
न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते।।

सर्वमुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत्।
रामवानुपरयन्यतों नाभ्यहिंसन् परस्परम्।।

आसन् वर्षसस्त्राणि तथा पुत्रसहस्त्रिणः।।
निरामया विशोकाश्च रामे राजं प्रशासति।।

नित्यमूला नित्यफला स्तरवस्तत्र पुष्णिताः।

काम वर्षो च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारूताः।।

ब्राह्मणाः प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव मर्मभिः।
स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः।।

आसन् प्रजा धर्मपरा रामे शासित नानृताः।।
सर्व लक्षणसम्पत्राः सर्वे धर्मपरायणाः।।[8]

इस प्रकार रामराज्य काल में कभी विधवाओं का विलाप नही सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं से भय नही होता था यही कारण था कि किसी असमायिक मृत्यु नही होती थी। पूरे राज्य में मनुष्य बुरे कार्यो से दूर रहते थे तथा चोर तथा लुटेरो का नाम तक नही सुना जाता था। लोग भयमुक्त होकर रहते थे। सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, सदा प्रसन्न रहते थे और सब धर्म के अनुसार जीते थे। रामराज्य में न सिर्फ मनुष्य बल्कि पेड़–पौधे, पशु–पक्षी भी फलते–फूलते थे। मेघ भी जरूरत पर पर वर्षा करते थे, वायु की गति की सुखमय हुआ करती थी। ब्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्य और शुद्र चारो वर्णो के लोग लोभरहित होते थे। सबको अपने वर्णाश्रमचित कर्मो से संतोष था और सब उसका खुशी से पालन करते थे। रामराज्य में प्रजा का भी उत्तम चरित्र हुआ करता था लोग झूठ नही बोलते थे और ना ही अधर्म कार्य करते थे। रामराज्य की खुशहाली ही तो आधुनिक राष्ट्र–राज्यों का लक्ष्य है लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य राष्ट्र–राज्यो की व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक सम्भव है। महात्मा गांधी का भारतीयों के लिए रामराज्य लाना चाहते थे उन्होने तुलसीदास रचित रामचरितमानस के आदर्श को आधुनिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसे उन्होनें ''हिन्द स्वराज' में रामराज्य कहा है। गांधी जी ने रामराज्य का मूलाधार मन और इन्द्रियों को अपने वश में करने को बताया है। गांधी जी की सर्वोदय की आवधारणा रामराज्य से ही प्रेरित है। गांधी जी अपने लेख, संवाद और भाषणों में 'रामराज्य' शब्द का प्रयोग करते रहते थे। गांधी जी ब्रिटिश राज की तुलना 'रावण राज' से करते है। गांधी जी ने 4 नवम्बर 1920 को नासिक में अपने भाषण के दौरान कहा कि ''आजकल जो हुकुमत हम पर शासन कर रही हो वह केवल राक्षसी है। मैं उसे रावण–राज कहता हूँ। ऐसी राक्षसी हुकुमत में रहने वाली रैयत क्या करें? तुलसीदास ने कहा कि जो असंगत है, बुरे है, उन्हे मदद देना बंद कर दिया जाय। यह एक यज्ञ है, उसमें जब हम अपना बलिदान देगें तभी खुद शुद्ध होगें और रावणराज को हटाकर रामराज्य की स्थापना करें सकेगें। यह रामराज्य ही स्वराज है। इसे स्थापति किए बिना हम इस राक्षसी राज्य से छुट नही सकतें।''[9] गांधी जी की मूल चिंता 'अधर्म' और शैतानी सभ्यता को नष्ट कर ईश्वरीय राज्य की स्थापना करना था। यह वही आदर्श राज्य था जिसकी बात तुलसीदास ने रामचरितमानस में 'रामराज' की है। गांधी जी ने हरिजन में लिखा–''यदि लोग ईश्वर का अनुगमन करें तो दुनिया में आज जो भी भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी दिखाई दे रही, वह समाप्त हो जाये। अभी अमीर और अमीर हो रहें गरीब और गरीब हो रहे है। सब तरफ भूखे, नंगेपन और मौत का आलम है। यह ईश्वर राज्य के नहीं बल्कि शैतान, रावण या ईसा–विरोधी साम्राज्य के चिन्ह है। हम केवल होठों से ईश्वर के नाम का जप करके पृथ्वी पर उसका शासन नहीं उतार सकते। हमारा आचरण शैतान के बजाय ईश्वर के अनुरूप होना चाहिए।[10]

तुलसीदास जी और गांधी जी मनुष्य और मनुष्यतेर दोनों ही दृष्टिकरण से 'रामराज्य जैसी व्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया है इस प्रकार रामराज्य में सिर्फ मनुष्य ही आनन्दमय नहीं होगा बल्कि पशु–पक्षी की एक दूसरे से निर्भय होकर जीवन व्यतीत करेगें। तुलसीदास जी ने इस पर लिखा है–

''खग मृग सहज बयरू बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई।।''

'रामराज्य में आय–व्यय का प्रबंध भी बहुत सुदृढ़ था कर का भार जनता पर अत्यधिक नहीं डाला जाता था। तुलसीदास जी नें कर व्यवस्था पर लिखा है– **'मणि–मणिक मंहगे किए, सहजे तृण, जल नाज'** ठीक इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को न्यायसंगत बनाने के लिए लोकतांत्रिक कर व्यवस्था को अपनाया जाता है। राजा अपने धन का खर्च जरूरत मंदो पर खर्च करता था। लक्ष्मण को राधर्म के बारे बताते हुए राम कर–व्यवस्था के बारे में कहते है–

न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनं रक्षण तथा।
सत्यात्रप्रतिपत्तिश्र राजवृतं चतुर्विधम्।।
नयविकृमराम्पत्र सूत्थाश्रिन्तयेच्छित्रछ्रयम।
नमस्य विनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयात्।।
विनयो हीन्द्रियजस्तुधुत्कः शास्त्रमृच्छति।
तत्रिष्ठस्य दिशास्त्रार्थाः प्रसीदन्ति ततः श्रियः।।[11]

न्याय के द्वारा धन का अर्जन करना और अर्जित किए हुए धन को व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना। उसकी स्वजन और परजनों से रक्षा करना तथा सत्पात्र में नियोजन करना। राजा के व्यवहार में यह भी होना चाहिए कि वह निरतंर लक्ष्मी का चितंन भी करें। रामराज्य में न्याय प्रक्रिया पर भी बहुत ध्यान दिया गया था राज्य में सुख, समृद्वि व्याप्त होने के बावजूद न्याय वितरण की सुद्वढ व्यवस्था थी । सबसे अधिक ध्यान इस बात पर था कि किसी भी प्रकार निर्दोष को दण्ड न दिया जाय। जब तक योग्य न्यायधीश द्वारा मामले की जाँच न हो जाये तब तक अपराधी को दण्ड नही दिया जा सकता था। राम के बनवास के दौरान जब भरत उनसे मिलने जाते तब वे पूछते है कि कभी ऐसा तो नही होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्वात्मा पुरूष पर भी दोष लगा दे और शास्त्र ज्ञान मे कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराये बिना ही लोभ आदि के कारण उसे दण्ड दे दिया जाय या फिर किसी दोषी को तुम्हारे राज्य में छोड़ तो नही दिया जाता या कहीं मंत्री आदि लोग भ्रष्टाचार में तो नहीं आ जाते? इतना ही नहीं राज्य की सुरक्षा को लेकर भी उचित प्रबंध होता था जिससे राज्य को बाहय आक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकें और राज्य की प्रजा निर्भीक हो के रह सकें।[12] प्रजा की समस्या सुनने के लिए निरंतर सभा लगा करती थी सभा की अध्यक्षता स्वयं राजा करता था। सभा के सदस्यों में समाज के सभी वर्गो के प्रतिनिधि शामिल किए जाते थे।

इस प्रकार तुलसीदास जी ने उत्तरकाण्ड में राम की जो अनुपम कल्पना की है उसी को महात्मा गांधी जी ने आदर्श राज्य के रूप में देखा है। तुलसीदास की यह आर्दश राज्य की कल्पना, भ्रष्ट हो रहें शासन प्रशासन और कष्टों से परिपूर्ण जन जीवन के उस समयकाल में एक आईना थी। तुलसीदास की रामराज्य संबंधी विचार धारा भारतीय संस्कृति की नीव पर स्थित है क्योकि इसमें तुलसीदास जी नें आदर्श राज्य का जो निरूपण किया है वह निसंदेह संपूर्ण विश्व के ए अनुकरणीय है। तुलसीदास लिखते है कि राम के राज्य पर बैठते ही तीनों लोको में अपार हर्ष छा गया। और सभी लोगो के समस्त कष्ट दूर हो गयें।[13] तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से आदर्श राज्य में ऊँच–नीच के भेद को मिटाया है जब स्वंय राम द्वारा सबरी के झूठे बेर को खाया गया, निशाद राज के साथ मित्रता स्थापित की गयी, केवट को उसका सम्मान दिया गया। बनवासियों को गले लगाते है, कंदमूल खाते है तथा चौदह वर्ष के बनवास के दौरान ही वे ऋषि–मुनियों और बौद्विक वर्ग से उनके नेतृत्व को स्वीकृति मिलती है। तुलसीदास सभी दशा में शासन और जनता के रिश्ते को मजबूत करते है और यही आज के लोकतांत्रिक व्यस्यथा में भी है लेकिन तुलसी ने अपने रामराज्य के कल्पना में अपने आदर्श राज्य को राम के लोकतांत्रिक नेतृत्व से प्राप्त कर लेते है लेकिन वर्तमान में अभी वहां तक पहुचने के लिए व्यवस्याथें संधर्षरत है तुलसीराम के आदर्शराज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को इस चौपाई व दोहे के माध्यम से समझा जा सकता है–

पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधभाई।।
पर शरीर धरि जे पर पीरा। करहिं ते सहहि महा व भीरा।।
राजघाट सब विधि सुंदर बर। मज्जहिं तहां बरन चरिउ नर।।
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर।।
धरम तड़ाग ग्यान विग्याना। ए पंकज विकसे विधि नाना।।
सुख संतोष विराग विवेका। विगत सोक ए कोक अनेका।।
''रमानाथ जहँ राजा जो पुर बरनि कि जाइ।
अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाइ।।''[14]

निकर्ष :– तुलसीदास जी ने जिस प्रकार एक न्याय प्रिय, समता और बंधुता से युक्त एक आर्दश व्यवस्था की कल्पना की है, ठीक यहीं आर्दश राज्य की बात एक समय में **प्लेटों** नं की थी आधुनिक युग में गांधी जी का आदर्श राज्य भी तुलसीदास के रामराज्य पर ही आधरित है। वैसे तो आधुनिक समय में दुनिया में व्याप्त तमाम व्यवस्थायें ऐसे 'आदर्श राज्य' के मूल्यों को हासिल करने का दावा करती है। **कार्ल मार्क्स** ने भी अपने साम्यवाद की अवधारणा में एक सुखकारी और समता पर आधारित राज्य की कल्पना की है लेकिन उसकी प्रक्रिया में हीं दोष है।[15] वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में रामराज्य के आदर्शो को व्यापित्य करने कर एक सभावित प्रयास किया जा सकता है। बहुत कुछ हुआ भी है लेकिन अभी बहुत कुछ शेष है। रामराज्य जैसे बहु आदर्श राज्य तो नहीं स्थापित किया जा सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थायें आधुनिक युग में एक मंच जरूर है जिससे 'रामराज्य' जैसे आदर्श राज्य की एक यात्रा पर निकला जा सकता है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी तमाम कमियां व्याप्त है। भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का बोल–बाला है, राजनीतिक दलों में तानाशाही भाई–भतीजावाद राजनीतिक दलों पर पूंजी पतियों का प्रभाव जगजाहिर है। ऐसे में जन आकाक्षाओं की राजनीति पर जनतंत्र में भी खतरा है। जनवाद में जनशिक्षा निष्पक्ष जनमत, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र व नैतिकता, नागरिकों का शासन में सक्रिय भागीदारी सर्तकता और आर्दश निर्वाचन व्यवस्या अनिवार्य है। पक्षपाती संचार, मीडिया व अन्य प्रचार साधन भी लोकतंत्र के रास्ते में रूकावट है लेकिन वर्तमान में इन सब कमियों के बावजूद यहीं सबसे अच्छी व्यवस्या कहीं जा सकती है। यदि लोकतंत्र में व्याप्त कमियों को रामराज्य के नैतिक मूल्यों से नियंत्रित कर दिया जाय तो सदगुणों से युक्त रामराज्य प्रणाली को आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में रामराज्य लाया जा सकता है। रामराज्य में जिस तरह जन भावनाओं और उनके सुख समृद्दि का ध्यान रखा जाता है ठीक वहीं मूल्य आधुनिक लोकतंत्र का भी है। तुलसीदास रचित रामचरित मानस में रामराज्य के लोकनायक राम है। लेकिन वर्तमान में जब उपभोग की संस्कृति प्रधान है तब श्रीराम जैसे आर्दश व्यक्तित्व का मिल पाना संभव नही ऐसे में लोकतंत्र ही एकमात्र विकल्प बचता है जिसके अंतर्गत असामनता, गरीबी, भुखमरी, बिमारी, अशिक्षा, प्रदूषण और असुरक्षा जैसी व्याप्त सामाजिक समस्याओं का निराकरण निकाला जा सकता है।

सदंर्भ

1. फाड़िया, बी0एल0, आधुनिक राजनितिक चिंतन का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृष्ट सं0 359.
2. गाबा, ओ0पी0, राजनीति सिद्धान्त भी रूपरेखा, मयूर बुक्स नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 237.
3. गाबा, ओ0पी0, समकालीन राजनीति सिंद्धात, नेशनल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 320.
4. श्रीराम चरितमानस : गोस्वामी तुलसीदास, गीता प्रेस गोरखपुर, उत्तरकाण्ड पृष्ठ सं0 914 (संवत, 2067).

5. श्रीराम चरितमानस : गोस्वामी तुलसीदास, गीता प्रेस, आयोध्यकाण्ड पृष्ठ–592.

6. शर्मा, राजनाथ, साहित्यक निबंध, श्री विनोद पुस्तम मंदिर आगरा, पृष्ठ–52.

7. श्रीराम चरितमानस : गोस्वामी तुलसीदास, आयोध्यकाण्ड पृष्ठ–592.

8. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण : महर्षि बाल्मीकिप्रणीत (द्वितीयभाग) युद्धकाण्डे अष्टाविशंत्यधिशततमः सर्गः।

9. सम्पूर्ण गांधी बाड़मय खण्ड–18 पृष्ठ–456.

10. श्री भगवान सिंह, गांधी एक खोज पृष्ठ–62

11. कल्याण : श्रीरामवचनामृताडक गीताप्रेस गोरखपुर पृष्ठ सं0– 471

12. हिन्दू संस्कृति–अंक गीता प्रेस गोरखपुर–24 वर्ष का विशेषांक पृष्ठ सं0–562.

13 सक्सेना, डॉं द्वारिका प्रसाद, हिन्दी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ सं–192.

14 श्रीराम चरितमानस : गोस्वामी तुलसीदास, उत्तरकाण्ड पृष्ठ सं0 922–92.

15. मार्क्सवाद और रामराज्य : श्री स्वामी करपात्री जी महराज, गीताप्रेस गोरखपुर, पृष्ठ सं 124.

❖

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इंटरनेट की भूमिका : एक विश्लेषण

सौम्या तिवारी*

प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह**

सारांश : आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। भारत में संचार माध्यमों का प्रसार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण समाज में संचार माध्यमों का प्रसार जैसे– इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों के सोचने विचारने के तरीके, नैतिक दृष्टि, सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों में बदलाव आया है। भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान आदि। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एवं आविष्कृत सूचना प्रौद्योगिकी से सम्प्रेषणीय साधनों के वकिास में इंटरनेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिससे ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं तक लोगों की पहुँच आसान हो रही है।

मुख्य शब्द: सूचना, प्रौद्योगिकी, संचार, इंटरनेट, विकास, माध्यमों

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 74.23 भाग जनसंख्या गांवों में रहती है। भारत तो गांवों में बसता है, इसलिये बिना गांवों के विकास के भारत का विकास सम्भव नहीं है। ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह विकास रोजगार की उपलब्धता और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विकास बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।ग्रामीण विकास का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास लाना है। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि सुविधाओं एवं संरचना के विकास एवं विस्तार के प्रयास किये जाते हैं।भारत सरकार द्वारा देश में महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी और बेराजगारी को कम करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार और बुनियादी जरूरतें जैसे– (रोटी, कपड़ा, मकान) की आवश्यकता को पूरा करना है। इंटरनेट एक संचार प्रौद्योगिकी है। जिसमें करोड़ो कम्प्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से सूचनाओं तक पहुँचा जाता है। 1980 में इंटरनेट की शुरूआत हुई। भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को इस सुविधा को आम लोगों के लिए सुलभ करायी।

***शोधछात्रा, समाजशास्त्र, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर (इण्डिया)**

****प्रोफेसर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग पी0पी0एन0 कालेज, कानपुर, सम्प्रति प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी.**

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम–

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम**– केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। पहले चरण के अर्न्तगत 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया था। सर्वाधिक 23 जिले बिहार के शामिल थे तथा गोवा का एक भी जिला सम्मिलित नहीं था। पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए चुने गये 200 जिलों में 150 जिले से रहा था। मनरेगा योजना के अन्तर्गत दोनों योजनाओं **'काम के बदले अनाज'** व **'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना'** को मिला दिया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में मनरेगा योजना भारत के 625 जिलों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत चुने गये जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिये लागू किये गये वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान 60 रुपये से कम में नहीं किया जायेगा।

मुख्य उद्देश्य :

1. मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्य की इच्छा रखने वाले ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
2. मनरेगा के अर्न्तगत रोजगार प्रदान किये जाने के साथ–साथ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत मजदूरी तथा सामग्री अनुपात 60 : 40 का है।
3. इस योजना के अन्तर्गत यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान नही किया गया तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।
5. मजदूरों को दी गयी मजदूरी की दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होनी चाहिए। इसकी घोषणा 6 जनवरी 2011 को की गयी थी।
6. केन्द्र सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों के लिये मजदूरी लागत का 100प्रतिशत तथा सामग्री लागत का 75प्रतिशत वहन करेगी।
7. मनरेगा में न्यूनतम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाएं होगी।
8. इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।
9. मनरेगा का उद्देश्य आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी संपत्तियां (सड़कों, तालाबों, नहरों, कुएं) को बनाना है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** –

  ग्रामीण क्षेत्रों से सम्पर्क साधने हेतु, भारत सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 तक की जनसंख्या वाले तथा विशेष श्रेणी राज्यों में 250 और उससे अधिक जनसंख्या वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों और अन्य मुख्य क्षेत्रों में मजबूत, सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों का निर्माण करना है। इस योजना के चौथे चरण की लागत 70,125 करोड़ रुपये है। इस योजना को 2024–25 से 2028–29 के लिए लागू किया जायेगा। इस योजना के तहत, 25,000 संपर्कविहीन बस्तियों को जोड़ने के लिये 62,500 किलोमीटर लम्बी सड़के बनाई जायेगी। साथ ही सड़कों पर

पुलों का निर्माण या उनका उन्नयन भी किया जाएगा। इस योजना से 40 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** – इस योजना की शुरूआत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 जून 2011 को राजस्थान के बॉसवाडा जिले से हुई। यह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था, ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कल्याणकारी सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाना है। यह मिशन स्वयं सहायता समूहों में मदद करना है। इस योजना का लक्ष्य देश भर के 6 लाख गांवों के 100 मिलियन गरीबों को मदद पहुंचाना है। एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सबसे बड़ी पहलों में से एक है।
- **इंदिरा आवास योजना** – इस योजना का नाम सितम्बर 2016 में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से हुई है, जून 1985 में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की जिसमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की राशि के एक हिस्से को अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा मुक्त बंधुवा मजदूरों के लिये मकानों का निर्माण करने हेतु अलग रखा गया। भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना 1985–86 में शुरू हुई थी। इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बंधुओं मजदूरों के सदस्यों द्वारा मकानों के निर्माण में मदद करना है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान गाँव की मुख्य बस्ती में एवं छोटी बस्ती के रूप में बनाया जा सकता है। जिससे उन्हें सड़को, नालियों एवं पेय जल की सुविधाएं प्रदान की जा सके। मकानों की डिजाइन लाभार्थियों की इच्छा से होनी चाहिए जिसमें रसाई, वायु संचार, शौचालय सुविधाएं, धुआंरहित चूल्हा आदि को ध्यान में रखा गया हो।
- **स्वच्छ भारत अभियान** – इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नही हैं अपितु अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना भी है।
- **तकनीक का ऐतिहासिक पहलू** – उपकरणों को बनाने और करने के लिये व्यवस्थित तकनीको का समय के साथ विकास। तकनीक शब्द, ग्रीक शब्द टेक्नी, ''कला, शिल्प'' और लोगों, 'शब्द, भाषण'' का संयोजन है, जिसका अर्थ ग्रीस में कलाओं पर एक प्रवचन था, 20वीं सदी की शुरूआत में इस शब्द ने औजारों और मशीनों के अलावा साधनों, प्रक्रियाओं और विचारों की बढ़ती हुई शब्दों का प्रयोग किया। मध्य शताब्दी तक तकनीक को परिभाषित किया गया था, ''वह साधन या गतिविधि जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण को बदलना या उसमें हेरफेर करना चाहता है।''
- **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इंटरनेट की भूमिका** – तकनीकी के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आसानी से हो रहा है। सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों की सूचना बेवसाइट पोर्टल तथा समाचार पत्रों में उपलब्ध रहती है जिससे ग्रामीण लोगों को सूचनाओं या अन्य जानकारी के लिए इधर–उधर भटकना नही पड़ता, जबकि उन्हें जानकारी कम समय में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मनरेगा में सरकारद्वारा जिनके जॉब कार्ड बने है उन्हें पैसा उनके खातों में भेजा जाता है जिससे भ्रष्टाचार में कमी आयी है। ग्रामीणों को इन योजनाओं से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिये विषय विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त हो जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी से ग्रामीणों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति

भी जागरूकता आयी है। हर स्तर पर संचार क्रान्ति लोगों के लिये उपयोगी साबित हो रही है। इंटरनेट के द्वारा ग्रामीण इलाकों में रह रहे ग्रामीण विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा रहे हैं। इंटरनेट में ग्रामीण विकास की तस्वीर ही नही बल्कि तकदीर ही बदल कर रख दी है।

भारत दुनियां में तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज ऐसा कोई ग्रामीण परिवार नहीं जहाँ संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हर घर में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हैं। संचार क्रान्ति के युग में सभी चीजे ऑनलाइन हैं जिससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वे संचार सुविधाओं का सिर्फ उपयोग ही नहीं कर रहे है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –** के अन्तर्गत राज्य सरकारों और मापदंडों की संस्तुति के आधार पर इंजीनियरिंग संस्थाओं को राज्य तकनीकी एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। जो तैयार किये गये परियोजना प्रस्तावों की जांच कर उन्हें तकनीकी सहायता मुहैया करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य तकनीकी संस्थानों को प्रधान तकनीकी एजेंसियों (पीटीए) के रूप में नियुक्त किया है। जिससे ग्रामीण सड़को के लिये तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा सके। परियोजनाओं का अध्ययन, मूल्यांकन और गुणवत्ता, लागत में सुधार के लिये परामर्श दिया जा सके।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–** केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका संवर्धन सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दी गई। (एनआरएलपीएस) की परिकल्पना एक बहु–विषयक निकाय के आधार पर की गई जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को उनके उद्देश्यों के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान कर सराहनीय भूमिका निभायेगा। इस योजना से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में संस्थाओं द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका का निर्वहन करना। मिशन का उद्देश्य 7.0 करोड़ गरीब परिवारों तक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- **आवास योजनाओं** के क्रियान्वयन में भी इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई दे रहा है। ब्याज की किस्त ग्रामीणें के बैंक खाते में आती है। जुलाई 2010 में एक **'आवास सॉफ्ट'** नाम का सॉफ्ट वेयर लॉन्च किया गया था जिसका कार्य योजना के बेहतर प्रशासन में सहायता करना है।
- **स्वच्छ भारत अभियान** में अधिक से अधिक लोग जुड़ सके उसके लिये सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान पोर्टल के रूप में एक मंच प्रदान किया है। जहाँ प्रतिभागी किसी विशेष स्थानको साफ करने के बाद उसकी पहले की तस्वीरें साझाा कर सकते हैं। पंजीकृत प्रतिभागी को सबसे पहले सफाई करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी और उसके बाद नौ अन्य व्यक्तियों को को सफाई के लिये आमंत्रित करना होगा। यह कार्य एक निश्चित अवधि में समाप्त हो जाना चाहिए। जिसकी जानकारी टाइमलाइन में साझा करनी होगी। स्वच्छता योजना के प्रचार–प्रसार में विज्ञापनों को जनता तक पहुँचाने में इंटरनेट एक सशक्त भूमिका निभाते दिखाई दे रहा है। जिससे पलक झपकते ही योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाती है बिना अधिक श्रम और धन के।

निष्कर्ष – उपयुक्त से यह दृष्टिगोचर होता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इंटरनेट ने सराहनीय भूमिका निभाई है। क्योंकि इससे ग्रामीणों को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त हो जाती है। इंटरनेट के द्वारा सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आसानी से होता दिखाई दे रहा है। जिससे गांवों में महत्वपूर्ण बदलाव आये हैं। ग्रामीणों को इन योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं जिससे

उनके आर्थिक जीवन में भी बदलाव आया है। इंटरनेट ने आज के बदलते परिवेश में दैनिक कार्यकलापों के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यो को करने में भी ग्रामीणों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।

संदर्भ

1. जोशी, संजय (2016) जनसंचार एवं सूचना तकनीकी के साधन तथा ग्रामीण विकास. राधाकमल मुकर्जीः चिन्तनपरम्परा, जून 2016, वर्ष 18, अंक 1, पृष्ठ सं0 (39–42).
2. कुमारी, सविता (2013) विकास कार्यक्रमों से गांवों में आ रही है खुशहाली. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2013, वर्ष 59, अंक 12, पृष्ठ सं0 (24–28).
3. https://www.myscheme.gov.in>p...
4. AI Overview
5. https://hi.vikaspedia.in>इंदिरा–...
6. राष्ट्रीय पोर्टल https://www.इंडिया.सरकार.भारत>...
7. दाधीच, बालेन्दुशर्मा (2016) गांवों में रफ्तार पकड़ता 'डिजिटल इंडिया'. कुरूक्षेत्र, जून 2016, वर्ष 62, अंक 08, पृष्ठ सं0 (30–33).
8. https://www.britannica.com>histar...
9. https://testbook.com>question-ans...
10. https://pmgsy.nic.iin>paradnaanam...
11. https://www.dnhpanchaya.in>details

❖

कृषि अपशिष्ट प्रबंधन : पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत दृष्टिकोण

डॉ0 धर्मेन्द्र प्रताप यादव'

सारांश : भारत में कृषि, समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्य आधारशिला है, क्योंकि कृषि में देश की आधे से अधिक कार्यशील जनसंख्या संलग्न है। भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण लोग मुख्यतः कृषि और सहायक गतिविधियों में लगे हुए हैं। हालांकि कृषि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, तथा यह भी प्रचुर मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करती है, जिसका समझदारी से प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। कृषि अपशिष्ट एक व्यापक शब्द है, जिसमें फसल अवशेष, पशु अपशिष्ट, पैकेजिंग सामग्री आदि जैसे विभिन्न पदार्थ शामिल होते हैं। यदि इन अपशिष्टों का उचित तरीके से निपटान न किया जाए तो यह पर्यावरण और जीवों दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत पुनः उपयोग (Reuse), कमी (Reduce) और पुनर्चक्रण (Recycle) की अवधारणा पर आधारित है। यह टिकाऊ कृषि अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह लेख कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के उन तरीकों का अवलोकन प्रस्तुत करता है, जो सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित हैं— जैसे अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और सामग्री का पुनःचक्रण करना, तथा पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए, सतत कृषि प्राप्त करने और पृथ्वी पर अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए इन रणनीतियों के महत्व को उजागर करने का प्रयास करता है।

मुख्य शब्द : कृषि अपशिष्ट, सततता, पर्यावरण, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन, प्रथाएँ

परिचय : कृषि मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवनयापन का एक प्रमुख साधन है। फिर भी, यह एक बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करती है, यदि जिसका ठीक से प्रबन्ध न किया जाए तो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है।

अतः कृषि अपशिष्ट उन उत्पादकों को कहा जाता है जो फलों, सब्जियों, मांस, मुर्गी, डेयरी और फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये कृषि उत्पादन और प्रसंस्करण के बाद बचने वाले अवशेष होते हैं, जिसका यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए तो यह जीवों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तथा यह अपशिष्ट तरल या ठोस के रूप में हो सकते हैं, और उनकी संरचना कृषि गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर करती है। पशुओं से उत्पन्न अपशिष्ट (गोबर, मृत पशु), खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट (जैसे मकई का केवल 20 प्रतिषत ही उपयोगी

'असिस्टेंट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, डी0 ए0 वी0 पी0 जी0 कालेज आजमगढ़

होता है, तथा शेष 80 प्रतिषत अपशिष्ट के रूप में होता है), फसल अवशेष (मकई के डंठल, गन्ने की खोई, फलों और सब्जियों के गिरने और खराब होने वाले हिस्से, छंटाई से उत्पन्न अपशिष्ट), और खतरनाक तथा विषाक्त कृषि अपशिष्ट (कीटनाशक, नाशीजीव नियंत्रण रसायन और खरपतवारनाशक आदि) सभी कृषि अपशिष्ट या एग्रो–वेस्ट की श्रेणी में आते हैं।

कृषि अपशिष्ट का सावधानी पूर्वक तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उचित प्रबंधन तकनीक की आवश्यकता होती है ताकि एक सतत भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। कृषि गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्टों का प्रबंधन एक अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन उन विधियों और रणनीतियों को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य कृषि प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन करते समय पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना होता है। तथा सामान्य कृषि अपशिष्टों में फसल अवशेष, गोबर, कीटनाशक, पैकेजिंग सामग्री आदि शामिल हैं। भारत में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले 620 मिलियन टन से अधिक कृषि अपशिष्ट का केवल 25 से 30 प्रतिशत ही ऊर्जा और पशु चारे के उत्पादन के रूप में उपयोग किया जाता है। चावल–गेहूं की खेती प्रणाली में अगली फसल की समय पर बुवाई के लिए अधिकांश भारतीय किसान अवशेषों को जलाने की तकनीक अपनाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से CO_2, CH_4, N_2O, H_2S, O_3 और धुंध जैसी हानिकारक गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं, जिससे वायु प्रदूषण तथा वायुमण्डलीय परतों को क्षीण करती है। इस प्रक्रिया से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी तकनीकों को लागू करके वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है और साथ ही फसलों के लिए आवश्यक संसाधनों की गुणवत्ता में भी सुधार लाया जा सकता है (Patel, et al, 2020)।

कृषि अपशिष्ट के प्रकार : कृषि अपशिष्ट में फसलों के साथ–साथ पशुओं के भी अपशिष्ट शामिल होता है, जिसमें पशुओं के मल–मूत्र, उनके अवषेष आदि आते हैं। फसल अपशिष्ट जैसे– पत्तों के कचरे, धान का पुआल, भूसी, गिरे हुए फल आदि, प्रसंस्करण अपशिष्ट जैसे– औद्योगिक कचरें, घरेलू अपशिष्ट जैसे– बचा हुआ भोजन, सब्जी या फल के छिलके आदि और खतरनाक अपशिष्ट जैसे– रसायन, फफूंदनाशक, कीटनाशक और खरपतवारनाशक आदि शामिल हैं।

अपशिष्ट को इस आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है कि यह प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में किस प्रकार विघटित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं—जैविक अपशिष्ट (Biodegradable Waste) और अजैविक अपशिष्ट (Non Biodegradable Waste), जब कचरे को पर्यावरण में छोड़ा जाता है, तो जैविक अपशिष्ट सूक्ष्मजीवों की सहायता से स्वतः विघटित हो जाता है, जबकि अजैविक अपशिष्ट ऐसा नहीं करता, पशु अपशिष्ट, पौधों का कचरा, घरेलू कचरा और जैविक कीटनाशक जैविक अपशिष्ट के उदाहरण हैं। वहीं घरेलू कचरे में प्लास्टिक बैग, रैपर आदि जैसे उत्पाद अधिकांशतः अजैविक अपशिष्ट के उदाहरण हैं।

अन्य प्रकारों में फसल कटाई के बाद उत्पन्न कृषि अपशिष्ट और कृषि–औद्योगिक अवशेष (Agro-Industrial Residues) शामिल हैं। फसल कटाई के बाद उत्पन्न कृषि अपशिष्ट को प्राथमिक कृषि अवशेष कहा जाता है। इसमें मुख्यतः कटाई के बाद बचे डंठल, भूसी और पुआल शामिल होते हैं। इन्हें पशु चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है और शेष भाग को जलाया या अपघटकों (decomposer) द्वारा नष्ट किया जाता है। इन अवशेषों में सेल्यूलोज सामग्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कृषि–औद्योगिक अवशेष वे द्वितीयक कृषि अवशेष हैं जो कृषि फसलों के विभिन्न जैव उत्पादों में परिवर्तित होने के बाद उत्पन्न होते हैं। इनमें शीरा (Molasses), बगास (Bagasse), छिलके (Peels), खोल (Hull), भूसी (Husk) आदि शामिल हैं (इकबाल, आदि, 2020)।

कृषि अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकें : कृषि को मानव सभ्यता की रीढ़ माना जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विस्तार के साथ, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती बन गया है। कृषि गतिविधियों के दौरान उत्पन्न अपशिष्टों का निपटान एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो पर्यावरण और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, "**कम करें**(Reduce), **पुनः उपयोग करें** (Reuse) **और पुनर्चक्रण करें** (Recycle)" के सिद्धांतों पर आधारित सतत कृषि अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकें उभरी हैं, जो आज कृषि अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीतियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

कम करें (Reduce) : यह सतत कृषि अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक मौलिक कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य कृ षि प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों की मात्रा को कम करना है। इसके लिए आवश्यक है कि शुरुआत से ही ऐसे व्यवहार अपनाए जाएँ जो अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करें। उदाहरण के लिए, परिशुद्ध कृषि (Precision Farming) एक ऐसी तकनीक है, जो पानी, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती है, जिससे अतिरिक्त इनपुट्स कम होते हैं और अपशिष्ट घटता है। जीपीएस–निर्देशित ट्रैक्टरों और रिमोट सेंसिंग जैसी परिशुद्ध तकनीकों का उपयोग कर किसान अपने प्रयासों को ठीक उसी स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं, जहाँ उनकी आवष्यकता होती है जिससे अनावष्यक संसाधनों के उपयोग में कमी आती है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management & IPM) तकनीकें कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे रासायनिक अपशिष्ट में कमी आती है और पर्यावरणीय प्रदूषण के जोखिम को भी न्यूनतम किया जा सकता है।

पुनः उपयोग (Reuse) : यह अवधारणा संसाधन दक्षता को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संसाधनों का पुन: उपयोग टिकाऊ कृषि अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देता है। वस्तुओं को कचरा सामग्री के रूप में फेंकने के बजाय उनका पुन: उपयोग करके संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इस मामले में, फसल अवशेषों को फिर से मल्च (Mulch) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बढ़ाने के लिए जैविक पदार्थ के रूप में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। पोषक चक्र को पूरा करने और सिंथेटिक विकल्पों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए, पशुधन खेती का एक सामान्य उपोत्पाद खाद बनाया जा सकता है और एक जैविक या पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा, कृषि में उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए जिसे संभव होने पर एकत्र और पुन: उपयोग किया जा सके। यह अभ्यास न केवल कचरे की मात्रा को कम करता है बल्कि संसाधनों का संरक्षण भी करता है और कृषि के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करता है। प्रदूषण को कम करने के लिए, प्लास्टिक सामग्री से बचना चाहिए क्योंकि वे खतरनाक गैसें उत्सर्जित करती हैं। चूंकि प्लास्टिक को नष्ट करना कठिन होता है और यह मिट्टी में हजारों वर्षों तक धीरे–धीरे विघटित होता है, इसलिए यह मिट्टी की उर्वरता और संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

पुनर्चक्रण (Recycle) : पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य कचरे को संसाधनों में बदलना है। यह एक ऐसी रणनीति है जो कचरे को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करती है। खाद बनाना सबसे प्रसिद्ध पुनर्चक्रण तकनीकों में से एक माना जाता है जो फसल अवशेषों और खाद्य स्क्रैप सहित जैविक कचरे को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देता है। यह खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकती है, जलधारण क्षमता सुधार सकती है और कृत्रिम उर्वरकों की आवश्यकता को कम कर सकता है।

एनारोबिक डाइजेशन (Anaerobic Digestion) भी एक अन्य पुनर्चक्रण विधि है जो जैविक कचरे, जिसमें विशेष रूप से गोबर जैसे जैविक अपशिष्ट को बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अवशिष्ट डाइजेस्टेट (बचा हुआ पदार्थ) का उपयोग पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, फसल अवशेषों और अन्य कृषि अपशिष्ट को वेस्ट–टू–एनर्जी तकनीकों का उपयोग करके जैव ऊर्जा (Bioenergy) में बदला जा सकता है। यह जीवाश्म ईंधनों (Fossil Fuels) पर निर्भरता को कम करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी घटाता है।

कृषि अपशिष्ट के उपयोग के विभिन्न तरीके :

1. बायोगैस उत्पादन :

बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन (CH_4), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसों से मिलकर बनती है। यह जैविक पदार्थों के ऑक्सीजन रहित वातावरण में किण्वन द्वारा उत्पन्न होती है। बायोगैस की सटीक संरचना फीडस्टॉक के प्रकार और उत्पादन तकनीक पर निर्भर करती है। कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और नगर ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) के जैविक अंश का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन, मच्छरों को भगाने और ताप प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। (शर्मा, 2023)

2. बायोचार उत्पादन :

फसल अवशेषों को पाइरोलिसिस (Pyrolysis) या अन्य तकनीकों के माध्यम से बायोचार (Biochar) में बदला जा सकता है। बायोचार एक मिट्टी कंडीशनर के रूप में कार्य कर सकता है, जो मिट्टी की उर्वरता, जलधारण और पोषक तत्वों के भंडारण को बढ़ाता है। (राय, 2023)

3. कम्पोस्टिंग:

पारंपरिक रूप से फसल अपशिष्टों का उपयोग कम्पोस्टिंग के लिए किया जाता रहा है। फसल के बचे हुए हिस्सों को गोबर के गड्ढों में ढेर किया जाता है और पशुओं के बिछावन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो प्रत्येक किलोग्राम भूसे में दो से तीन किलोग्राम मूत्र अवशोषित कर सकता है। कम्पोस्टिंग के बाद, एक हेक्टेयर भूमि से प्राप्त चावल की फसल का अवशेष लगभग 3 टन फार्मयार्ड मैन्योर (FYM) प्रदान करता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उच्च गुणवत्ता वाले कम्पोस्ट उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली ने एक बायोमास–कम्पोस्टिंग संयंत्र विकसित किया है। जो खेतों से उत्पन्न कचरे और कृषि अवशेषों का इस यंत्रीकृत संयंत्र द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। जैविक पदार्थ के विघटन में 75–90 दिन लगते हैं, इस प्रक्रिया को एक जीवाणु समूह द्वारा तेज भी किया जा सकता है।

4. पशुओं के लिए पूरक चारा :

कृषि अपशिष्ट से पशुओं के लिए चारा तैयार किया जा सकता है। फसल से बचे उप उत्पादों और अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। (राय, 2023)

5. पर्यावरण–अनुकूल निर्माण सामग्री :

कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी की राख (Rice Husk Ash) और भूसे (Straw) का उपयोग ईंटों, पैनलों और अन्य पर्यावरण–अनुकूल निर्माण घटकों के निर्माण में किया जा सकता है। (राय, 2023)

कुछ सरकारी पहलें :

प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, 2018 के अनुसार, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों के लिए सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। एक किसान फसल अवशेषों का खेत में प्रबंधन करके खाद लागत पर प्रति हेक्टेयर लगभग 2000 रुपये की बचत कर सकता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह के अनुसार, भारत कृषि और कृषि आधारित उद्योगों से करोड़ों टन कचरा उत्पन्न करता है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70% कचरे का उपयोग घरेलू ईंधन और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। बाकी बचे कचरे को बायोफ्यूल और जैविक घटकों में बदला जा सकता है तथा ऊर्जा उत्पादन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों के लिए 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। ये उपकरण फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने में किसानों की मदद करते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों के कस्टम हायरिंग के लिए **"फार्म मशीनरी बैंक"** की स्थापना हेतु किसान संगठनों को परियोजना लागत का 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीआर जैसे राज्यों के लिए दो वर्षों के लिए 1151.80 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी।

"स्वच्छ भारत अभियान" में उल्लेखनीय प्रगति के बाद, प्रधानमंत्री का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM&STIAC) "वेस्ट टू वेल्थ अथॉरिटी" (Waste to Wealth Authority) स्थापित करना चाहती है, जो प्रत्येक राज्य में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर कचरे की समस्या का समाधान और देश के लिए सामाजिक–आर्थिक समाधान तैयार करेगी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने "इन्वेस्ट इंडिया" (Invest Indi) के साथ मिलकर एक "प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट" (PMU) स्थापित की है, ताकि भारत के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। इसका उद्देश्य कचरे का उपचार कर ऊर्जा उत्पादन, सामग्री पुनर्चक्रण और मूल्यवान संसाधनों की निकासी के लिए समाधान खोजना, मूल्यांकन करना, तैनात करना और परीक्षण करना है। यह शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) को उनकी कचरा प्रबंधन समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचारों की एक प्रौद्योगिकी निर्देशिका भी बनाना चाहता है। (Invest India] National Investment Promotion and Facilitation Agency)

गोबरधन योजना :

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग के रूप में "गोबरधन" (Galvanizing Organic Bio&Agro Resources Dhan & GOBARDHAN) योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य गांवों की स्वच्छता में सुधार करना और पशु तथा जैविक अपशिष्ट से संपत्ति और ऊर्जा उत्पन्न करना है।

गोबरधन के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- गांवों को स्वच्छ बनाए रखना।
- ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करना,।
- पशु अपशिष्ट से बिजली और जैविक खाद तैयार करना।

चूंकि ग्रामीण भारत पहले ही खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुका है, गोबरधन योजना का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह गांवों को ODF –प्लस स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज II का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

निष्कर्ष (Conclusion) : कृषि कचरे के प्रबंधन के लिए तकनीकों के कई फायदे हैं, लेकिन इन्हें व्यापक रूप से अपनाने में कठिनाई होती है। तकनीकी सीमाएं, वित्तीय प्रतिबंध, और किसान एवं हितधारकों के ज्ञान से संबंधित समस्याएं इनमें से कुछ हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारों, कृषि संगठनों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि उपलब्ध तकनीक प्रदान की जा सके, वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा सकें, और शैक्षिक आउटरीच की योजनाएं बनाई जा सकें। तथा इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कृषि कचरे का प्रबंधन सतत कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि में जिम्मेदार, कचरा प्रबंधन कचरे की मात्रा को कम करने, उपयोगी संसाधनों का उपयोग करने, और वस्तुओं को पुनः चक्रित करने पर आधारित है। प्रदूषण को घटाने और संसाधनों को संरक्षित करने से यह तकनीकें न केवल पर्यावरण की मदद करती हैं, बल्कि कृषि उत्पादन और दीर्घकालिक स्थिरता को भी बढ़ाती हैं। "घटाना, पुन: उपयोग करना, और पुनर्चक्रण करना" के सिद्धांतों को कृषि प्रथाओं में शामिल करना आवश्यक है ताकि हम एक अधिक सतत भविष्य की ओर बढ़ सकें और पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों की भलाई की रक्षा कर सकें।

सन्दर्भ

- Agricultural waste: Reuse, recycle,repurpose amplify xl. (2022,January 5).https://amplifyxl.com/agricultural-waste.
- Bhuvaneshwari, S., Hettiarachchi, H., & Meegoda, J. N. (2019). Crop residue burning in india: Policy challenges and potential solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 832. https://doi.org/10.3390/ijerph16050832
- Choudhary, S., Choudhary, V., Faran, N. K., Kumar, V., & Rohlan, K. (2018). Modern concept of farm waste management. In S. Ganguly (Ed.), Recent Research Trends in Veterinary Sciences and Animal Husbandry (2018th ed., pp. 87–95). AkiNik Publications. https://doi.org/10.22271/ed.book01.a07
- Dharmaraj, B. M. (2022). Management of agriculture waste in protecting environment. [Seminar report]. University of Agricultural Sciences, Bangalore College of Agriculture, GKVK Bengaluru Department of Agricultural Extension.
- Fahmy, Y., Fahmy, T. Y. A., Mobarak, F., El-Sakhawy, M., & Fadl, M. H. (2017). Agricultural residues (Wastes) for manufacture of paper, board, and miscellaneous

products: Background overview and future prospects. https://doi.org/10.5281/ZENODO.546735.

- Iqbal, N., Agrawal, A., Dubey, S., & Kumar, J. (2020). Role of decomposers in agricultural waste management. In Biotechnological Applications of Biomass. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.93816
- Patel, V., Kumar, A., Singh, A., & Anshuman, K., (2020). Integrated agricultural waste management: A solution of many problems. Food and Scientific Reports. ISSN 2583-5437.
- Rai, S. (2023). Innovative agricultural waste management strategies for a greener india. https://krishijagran.com/agripedia/innovative-agricultural-waste management-strategies-for-a-greener-india/
- Rawat, Dr. A. K., & Tripathi, U. K. (Eds.). (2020). Advances in agronomy (1st ed.). AkiNik Publications. https://doi.org/10.22271/ed.book.1040.
- Sharma, R. (2022, December 2). Waste management in India: Status, challenges and solutions-explained, pointwise. ForumIAS Blog. https://blog.forumias.com/waste-management-in india-status-challenges-and-solutions.

❖

महाकवि कालिदास कृत् अभिज्ञान शाकुन्तलम् में प्रकृति चेतना : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सर्वेश कुमार'

अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम्।अभि+ज्ञा+ल्युट् प्रत्यय । करणाधिकरणयोश्च सूत्र से करण अर्थ में ल्युट् प्रत्यय हुआ। लकार की ''लशक्वतद्धिते'' सूत्र से इत्संज्ञा तथा टकार की ''हलन्त्यम्'' से इत्संज्ञा तथा दोनों का तस्य लोपः से लोप हुआ। ''युवोरनाकौ'' सूत्र से यु को अन आदेश हुआ। तत्पश्चात् अभिज्ञान अर्थात् जिसके द्वारा पहचाना जाता है। यहां पर अभिज्ञान से भाव है दुष्यन्त के द्वारा पहचान के लिए शकुन्तला को दी गई अंगूठी। शकुन्तलाम् अधिकृत्य कृतं नाटकं शाकुन्तलम्।

शकुन्तला + अण्, अधिकृत्य कृते ग्रंन्थे सूत्र से अण् प्रत्यय। शकुन्तला विषयक नाटक। अभिज्ञान प्रधानम् शाकुन्तलम् अभिज्ञान शाकुन्तलम्। ''शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपद लोपस्योपसंख्यानम्'' वार्तिक से उत्तर पद प्रधान का लोप हुआ। शकुन्तला विषयक नाटक जिसमें अभिज्ञान (अंगूठी) मुख्य रूप से वर्णित है।

कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुन्तलम् संस्कृत साहित्य की नहीं अपितु विश्व साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। सात अंको में रचित इस नाटक में शकुन्तला और दुष्यन्त की प्रेम कथा वर्णित है। नान्दी पाठ में कवि ने अष्टमूर्ति शिव की उपासना की है जिसमें बताया की ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि जल रूपी मूर्ति है। उसके बाद क्रमशः अग्नि रूपी मूर्ति, यजमान रूप मूर्ति, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियॉ, आकाश रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपी मूर्ति, वायु रूपी मूर्ति, इन प्रत्यक्ष आठ मूर्तियों से युक्त शिव की उपासना की गई है। पृथ्वी, अप् तेज, वायु आकाश इन पंचभूतों से मिलकर शरीर निर्मित होती है।

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या, वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री,
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।
यामाहु सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनःप्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अंक 1(1)

उत्पत्ति की प्रक्रिया का अधिक वैज्ञानिक रूप तैत्तिरीय उपनिषद् में भी प्राप्त होता है–

तस्मात् वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः: पृथ्वी। वल्ली2अनु0(1)

उस परम तत्व से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु और वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरूष उत्पन्न हुआ।

'सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पी.जी.कालेज लालगंज आजमगढ़।

मानव जीवन में ''जल ही जीवन है'' ऐसी प्रसिद्धि है। हमारे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी इसी आशय से कहा गया है कि जब परमात्मा (ब्रह्मा) को सृष्टि (उत्पत्ति) करनी पड़ी तो उन्होंने सर्व प्रथम जल तत्व की सृष्टि की।

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाःप्रजाः।
आप एवं ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्। मनु0अ01(8)

हमारे वैदिक संहिताओं में प्रकृति का देवता स्वरूप में सूक्त के अन्तर्गत मन्त्रों में स्तुति की गई है जैसे–अग्नि,वरूण,वायु,पृथ्वी,सवितृ आदि।

कवि प्रकृति के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं वह प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से ओत–प्रोत मानते हैं। कवि का मानना है कि जिस प्रकार मनुष्य सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते हैं वह भी मनुष्य के तुल्य सुखी और दुःखी होते हैं इस नाटक में प्रकृति भी मानवीय दुःख के साथ सहानुभूमि प्रकट करती है।

चतुर्थ अंक में शकुन्तला की विदाई के प्रसंग में वृक्षों के रूप में अधिष्ठात्री देवताओं ने शकुन्तला को उपहार स्वरूप अपने उदारता प्रकट करते हुए चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र, अलंकार की सामग्रियां, महावर(अलक्तक) आदि प्रकट करते हैं।

क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरूणा माङ्गल्यमाविष्कृतं
निष्ठ्यूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसःकेनचित्।
अन्योभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै
र्दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्दिभिः।अंक 4(5)
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्।। अंक 4(9)

इन पंक्तियों में प्रकृति के प्रति प्रेम रखने वाली शकुन्तला ने जो अपना प्रेम प्रकट किया है वह निःसंदेह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निहित है। अचेतन प्रकृति के प्रति चेतन मनुष्य का इससे बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। शकुन्तला का प्रकृति के प्रति इतना लगाव था कि वह प्रातः काल सेचन का कार्य करती थी उसके बाद जल का पान करती थी। वृक्षों में नए किसलय निकलने पर और पुष्प आने पर वह उत्सव मनाया करती थी इससे पता चलता है कि शकुन्तला का प्रकृति के प्रति कितना गहरा संबंध था। शकुन्तला की विदाई के समय वृक्षों के रूप में अधिष्ठात्री देवताओं ने कोयल के माध्यम से अपनी अनुमति देते हैं।

शकुन्तला की विदाई के समय प्रकृति का जो व्याकुलता पूर्ण स्थिति देखी गई शायद ऐसा वर्णन कालिदास के अलावा कोई न किया हो। कालिदास के अन्य ग्रन्थों में भी जैसे–मेघदूतम्, रघुवंशम्, कुमारसंभवम् में भी प्रकृति का वर्णन मिलता है।

उद्गलित दर्भकवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः।
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः। अंक 4(12)

शकुन्तला के वियोग में हिरनियों ने कुशा के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लतायें पीले पत्तों को गिराकर मानों आंसू बहा रही हैं। प्रकृति की गोंद में पली–बढ़ी शकुन्तला प्रकृति का प्रतिरूप है। **शकुन्तभिः पक्षभिः लालिता पालिता इति शकुन्तला** इस व्युत्पति से जो पक्षियों से पाली पोसी गई हो वह है–शकुन्तला। तो वह

प्रकृति से विरक्त कैसे रह सकती है वह वृक्षों को सगे भाई जैसा और लताओं को अपनी बहन समझती है और उसी प्रकार सेवा करती है।

अस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु।1वा048

शकुन्तला की सुकुमार शरीर का वर्णन करते हुए कवि उसके अधरोष्ठ को नये पत्तों के किसलय के समान बताया गया है और उसके दोनों भुजाएं वृक्षों की दोनों शाखाओं से तुलना किया है और बताया कि शकुन्तला के अंगो में पुष्प जैसा यौवन सर्वदा व्याप्त रहता है।

जिस प्रकार मानव के अंतःकरण में घटनाएं होती हैं वैसी ही घटना इस बाह्य प्रकृति में देखने को मिलती है। पति के वियोग में शकुन्तला की जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति चंद्रमा के वियोग में कुमुदिनी की होती है।

अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे
दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीयशोभा।
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि। अंक 4(3)

तपोवन में उपस्थित लता (वनज्योत्सना) एवं शकुन्तला को ऋषि कण्व पुत्री के समान मानते हैं। विदाई के अवसर पर शकुन्तला लता से कहती है आम से लिपटी हुई तुम इधर की ओर आई हुई शाखा रूपी भुजाओं से मुझे गले लगो।

वनज्योत्सने!चूतसंगताऽपि मां प्रत्यालिङ्गेतोगताभिःशाखाबाहुभिः। अंक 4(वा088)

प्रकृति की गोंद में पली हुई शकुन्तला के संवर्धन में प्रकृति का महान योगदान है। शकुन्तला को प्रकृति से अलग नहीं देखा जा सकता है। उत्पन्न होते ही मां मेनका एंव पिता विश्वामित्र द्वारा उसका त्याग होने पर पालन पोषण कण्व आश्रम में होता है। जहां पर रहकर प्रकृति के प्रति प्रेम उनके अंतःकरण में समा जाता है। शकुन्तला की विदाई के समय मृगशावक वस्त्रों से लिपट जाता है शकुन्तला फिर प्रश्न करती है–

को न खल्वेष निवसने मे सज्जते?

फिर ऋषि कण्व कहते है–

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे।
श्यामाकमुष्ठि परिवर्धितको जहाति
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। अंक 4(14)

शकुन्तला मृगशावक को पुत्रवत् पाली थी जिसका वर्णन कण्व ऋषि इस प्रकार करते हैं– पुत्री कुशाओं से विधें हुए जिसके मुख में तुमने घाव को भरने लिए इंगुदी का तेल लगाया था वह यह जंगली सावां(श्यामाक) से पाला गया और पुत्रवत् माना हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का आपस में सदैव आदान–प्रदान चलता रहता है। प्रकृति की गोंद में जो आनंद है वह अन्यत्र नहीं है।

कवि कालिदास ने शकुन्तला के नेत्रों की तुलना तपोवन में विराजमान मृगियों के नेत्रों से की है वह कहते हैं कि शकुन्तला के साथ रहकर मृगियों ने शकुन्तला की भांति मनोहर दृष्टिपात् करना सीख गए हैं। इस मृगियों के मनोहर दृष्टिपात को देखकर राजा उन पर बाण नहीं चलाता है।

न नमयितुमधिज्यमस्ति शक्तो
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु।

सहवसतिमुपेत्य यैःप्रियायाः

कृत इव मुग्धविलोकितपदेशः।। अभि0शा02(3)

षष्ठ अंक में शकुंतला के वियोग में राजा शोकाकुल रहता है। उधर प्रकृति की भी वैसी अवस्था दिखाई पड़ती है। वसंतऋतु के आगमन पर अक्सर आम वृक्षों में बौर आ जाते हैं लेकिन शकुन्तला के वियोग की दशा में शोकाकुल राजा के होने पर आम वृक्षों में बौर तक नहीं आते हैं। कोयलों का कूकना भी बन्द हो जाता है। कुरबक में फूल तक नहीं आते हैं।

चूतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका बध्नाति न स्वं रजः

संनद्धः यदपि स्थितं कुरबकं तत् कोरकावस्थया।

कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रूतं

शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणार्धकृष्टं शरम्।। अभि0शा06(4)

इस प्रकार निःसन्देह कहा जा सकता है कि कालिदास जैसा प्रकृति प्रेमी संस्कृत जगत में ना हुआ है ना होगा। हृदयगत भावों को मूर्त रूप में प्रकट करना, प्रकृति का मानव हृदय पर प्रभाव आदि का सुंदर निरूपण किया है। प्रकृति के प्रति ऐसा घनिष्ठ प्रेम प्रकृति चेतना को प्रकट करता है।

संदर्भ

1–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक1(1) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य, रामनारायण लाल विजय कुमार,, कटरा रोड इलाहाबाद, 2004.

2–तैतिरीयोपनिषद्, संपादक तथा व्याख्याकार चुन्नीलाल शुक्ल, साहित्य भंडार, सुभाष बाजार, मेरठ.

3–मनुस्मृति प्रथम अध्याय श्लोक 8 हिंदी भाषा अनुवादकार गिरधर गोपाल शर्मा, चौखंवा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली.

4–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 1(5) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्वेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002सन् 2004

5–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 4(9) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

6–अभिज्ञान शाकुन्तलम् (अंक 4(12) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

7–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 1(वाक्य 48) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

8–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 4(3) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

9–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 4(13) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

10–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 4(वाक्य 88) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

11–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 4(14) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

12–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 6 (4) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

13–अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंक 2(3) प्रणेता डॉ कपिलदेव द्विवेदी आचार्य रामनारायण लाल विजय कुमार 2, कटरा रोड इलाहाबाद 211002 सन् 2004

❖

वर्तमान समाज में महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन

रेखा देवी*
प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह**

सारांश :
प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बन्धित विभिन्न आयामों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। नगरीय समाज में महिलाएँ बड़ी तीव्रता से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं सारे तथ्यों का अवलोकन करते हुए सम्पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। महिला सशक्तिकरण शब्द जितना आसान है परन्तु व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो इस महिला सशक्तिकरण के शब्द को परिभाषित करना उतना ही कठिन है। वर्तमान समय में देखा जाए तो आज भारतीय समाज में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है, राजनैतिक एवं **सामाजिक प्रतिबद्धता** ने ऐसे वातावरण का निर्माण कर लिया है कि जिससे महिलायें अपने को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं लेकिन महिला सशक्तिकरण को सिर्फ इसलिये महत्व नहीं दिया है कि यह मानव अधिकार है बल्कि इसके माध्यम से हमारे समाज में सदियों से चली आ रही विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का और **सतत् विकास** के मार्ग में **लैंगिक समानता** और सामाजिक न्याय को भी शामिल करना है। हिंसा का मुकाबला करना, गरीबी में कमी, बाल विवाह को समाप्त करना, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना, **लोकतांत्रिक शासन** संकट की रोकथाम, भूमि अधिकारों की रक्षा करना और लिंग–उत्तरदायी गणना योजना लागू करना, लैंगिक समानता और **सामाजिक न्याय** प्राप्त करना है। पर्यावरण और सतत् विकास में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तिकरण को स्वीकृत करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, सामाजिक प्रतिबद्धता, सतत् विकास, लैंगिक समानता, लोकतांत्रिक शासन।

प्रस्तावना : समाज में महिलाओं की मुख्य भूमिका को देखते हुए अब यह अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है कि एक पुरुष को सशक्त बनाने से एक व्यक्ति सशक्त होता है, लेकिन एक महिला को सशक्त बनाने से पूरी पीढ़ी सशक्त होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग हर स्तर पर लैंगिक असमानता की कहानी को बदलने और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है जहाँ हर किसी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का समान स्वतन्त्र और निष्पक्ष अवसर मिले।[1]

***शोधछात्रा, समाजशास्त्र,**

****प्रोफेसर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग पी0पी0एन0 कालेज, कानपुर, सम्प्रति प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी.**

हमारे देश में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे की पिछले कई दशकों से राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग रहे हैं। आजादी के बाद से महिला चिंता राष्ट्रीय लोकतंत्र में भी एक प्रमुख आयाम थी। जो 70 और 80 के दशक में शैक्षणिक चर्चा में भी शामिल हो गया। किन्तु इन सबके बावजूद आज भी महिला पुरुष लिंगानुपात के असंतुलन के बीच बहस जारी है। आज भी महिला सुरक्षा के प्रति सभ्य समाज की चिंता जाहिर है।[2] 70 के दशक के अंतिम वर्षों में अकादमिक खोजों में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। वह 'नारी अध्ययन' के तहत नारी से जुड़े मुद्दों की व्यवस्थित जाँच–पड़ताल। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो उच्च शिक्षा का मानक संस्थान है, 1986 में जाकर कुछ विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में 'नारी अध्ययन' हेतु केन्द्र अथवा प्रकोष्ठ की स्थापना की किंतु इससे पूर्व ही लैंगिक दृष्टि से नारी अध्ययन के तहत् शोध कार्य प्रारम्भ हो चुके थे।[3]

आजादी के पूर्व नारी मुद्दों पर शोध की कोई जरूरत नहीं महसूस की गई बल्कि तब विद्वानों का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की स्थिति का एक सरल और महिमामंडित वर्णन करना था। विद्वानों की रुचि के अन्य क्षेत्र थे– बाल विवाह, वैधव्य और कानूनी तथा शैक्षिक अपंगता नारी की स्थिति से जुड़े कच्चे आंकड़े एकत्र करने का प्रयास इस उद्देश्य से किया गया ताकि नारी स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य से जुड़ी नीतियों में परिवर्तन की वकालत की जा सके। आजादी के बाद के प्रथम दो दशकों में मध्य वर्ग, शिक्षित और शहरी महिलाओं के अध्ययन पर केन्द्रित रहा, जो नौकरियाँ ले रही थीं और प्रत्युत्पन्न दोहरी भूमिका के द्वंद्व को झेल रही थीं आज महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी कुरीतियाँ उनके आगे बढ़ने में बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं और राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात के मुताबिक वहाँ 1000 पुरुषों पर 930 महिलाएँ हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना 15 जुलाई 2015 की शुरूआत हरियाणा के पानीपत से की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक भागीदारी बढ़ानी होगी। धीरे–धीरे इस योजना को देशभर में लागू किया जाएगा। आज महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी है कि समाज में परिवर्तन की मानसिकता और अनचेतना विकसित की जाए। साथ ही जरूरत है बेटियों को शिक्षित करने की और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की।

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मार्च 2016 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सबके अलावा महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी योजनाएँ और अभियान अमल में लाए गए हैं जिसका फायदा भी मिला है।[4]

इसीलिए नारी विषयक अध्ययनों में बहुत सारी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के इतर जो शैक्षिक संरचना के और यू0जी0सी0 से सहायता प्राप्त नारी अध्ययन केन्द्रों के चलते है। यदि महिलाएँ एक समरूप वर्ग नहीं है, तब इसके प्रकार कई तरीके से व्यक्त हो सकते हैं। जाति, वर्ग, समुदाय एक प्रकार संस्था शोषित और खामोशी को एक तरह की रणनीति के तौर पर व्याख्यायित किया जा सकता है जो एक जगह पाने के लिए है, हालांकि उस स्थान का प्रयोग निरपेक्ष नहीं भी हो सकता है। विविधताओं की उपेक्षा किए बगैर, कुछ खोज समानता के लिए भी जरूरी है जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है कि महिलाओं पर शोध का उद्देश्य एक निरर्थक प्रयास नहीं बल्कि परिवर्तन का एक औजार है।[5]

भारत के संविधान की उद्शिका में वर्णित सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए सरकार पूर्ण कटिबद्ध है। संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेद–14, 15(4), (16), 19, 23, 29 डी0टी0 महिला कल्याण व सबलीकरण की

दिशा में सभी वर्गों तथा क्षेत्रों की महिलाओं को विकास के आयाम छूने के लिए प्रेरित करते हैं। संरक्षण की दृष्टि से सरकार महिलाओं को अधिकार प्रदान करती है।[6] भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके उत्थान के लिए 'राष्ट्रीय महिला आयोग' अधिनियम 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग महिलाओं की सुरक्षा एवं प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यों में राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के आयोग गठित किए गए हैं।[7]

- वस्तुतः प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुष की तुलना में सुन्दर, कोमल और सरल होती है। किन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि उसमें बुद्धि कौशल, सृजनात्मक शक्ति, बाहुबल, वीरता, संघर्षशीलता या कठोरता का अभाव है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक साहित्य और विज्ञापनों में स्त्री के केवल सौन्दर्य रूप और शारीरिक उजागर करने की प्रवृत्ति मौजूद है। जबकि शहरों में लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, एक्जीक्यूटिव, वकील, टीचर, सैनिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन विवाह के लिए लड़कियों को सुन्दर, सुशील, कृशकाय और घरेलू कार्यों में निपुण लड़की की ही मांग दर्ज की जाती है, जबकि लड़के की आय, पद, व्यवसाय जैसे ठोस कार्यों के पहलुओं की चर्चा करती है। इस क्षेत्र में कुशलता और सफलता के साथ काम करने के बावजूद भी महिलाओं के शारीरिक (दैहिक) पहलुओं को प्राथमिकता देना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वर्तमान समय में महिलाएँ घर से बाहर निकल रही हैं। आधुनिक समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार आया है, आज महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तथा राजनीति, सैन्य क्षेत्र, आर्थिक, सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी भाग ले रही हैं साथ ही महिलाएँ खेल के क्षेत्र में भी योगदान दे रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है और नौकरी पेशा में भी महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। महिलाओं का स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरी में स्पेशल कोटा दिया जा रहा है। मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। महिलाओं ने बचत, उपभोग–अभिवृत्ति और पुनर्चक्रण–प्रवृत्ति के मामले में भी भारत की अर्थव्यवस्था को महिला केन्द्रित बनाया है।[8]
- आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की निर्योग्यताएँ सबसे अधिक थी। उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से ही वंचित नहीं रखा गया बल्कि महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में भी हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। महिला स्वयं 'सम्पत्ति' बन चुकी थी, फिर उसे सम्पत्ति के अधिकार किस तरह प्रदान किए जा सकते थे? महिलाओं के द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना एक अनैतिक कार्य के रूप में देखा जाने लगा। हमारे समाज का इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है कि एक महिला भूख और प्यास से चाहे कितनी ही संतप्त हो, लेकिन कोई आर्थिक क्रिया करना उसकी कुलीनता और स्त्रीत्व के विरूद्ध मान लिया गया। इन आर्थिक निर्योग्यताओं का ही परिणाम था कि महिला को बड़े अमानवीय व्यवहार के बाद भी पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। आत्महत्या इस निर्भरता का एकमात्र समाधान नहीं रह गया है बल्कि रोजगार में लैंगिक अंतर से निपटना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकारों और व्यवसायों को समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल नीतियाँ स्थापित करनी चाहिए और महिलाओं के लिए वित्त और उद्यमिता प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए। पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और रोजगार की उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करने से कार्यक्षेत्र में अधिक लैंगिक समानता वाले में योगदान मिलेगा।[9]
- प्राचीन समय से ही लेकर खाद्य उत्पादन में महिलाएँ खेतों में ही काम कर रही हैं और आज वर्तमान समय में भी महिलाएँ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। साथ ही साथ महिलाएँ पशुपालन और पशुओं की देखभाल और दूध उत्पादन में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान होता है और महिलाएँ प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कुटीर उद्योगों में व घरेलू उद्योग में महिलाएँ पारंपरिक हस्तशिल्प का निर्माण करके देश की संस्कृति को एक नए रूप में बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। देखा जाए तो महिलाएँ शिक्षक के रूप में अपनी युवा पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करा रही हैं साथ ही महिलाएँ डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्य कर्ताओं के रूप में सेवा दे रही हैं। प्राचीन समय में महिलाओं को सरकारी नौकरी के अवसर कम किए जाते थे अब महिलाएँ सरकारी नौकरियों में विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। उसके साथ–साथ नीति–निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है उसके साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण समाज में सामाजिक समानता और विकास को बढ़ावा दे रही है। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उद्यमशीलता के कारण नए–नए रोजगारों के अवसर मिल रहे हैं।

- सामाजिक, आर्थिक प्रगति के बावजूद, राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। 1957 के चुनाव में महिलाओं के लिए 41 सीटें आरक्षित होने पर भी केवल 10 महिलाएँ ही चुनाव के लिए सामने आयी थीं, 1980 में जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुईं, तब पश्चिम के तथाकथित सभ्य समाजों में महिलाएँ जैसे हतप्रभ रह गईं। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनीतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारों ने कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ अपनाई है। शासन ने पंचायती राज अधिनियम 1993 के द्वारा महिलाओं के पंचायतों में पद आरक्षित कर विकास की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की साधी भागीदारी तो निश्चित कर दी है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों को अधिक महिला उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करना, नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना, राष्ट्रीय सांसदों और स्थानीय सरकारों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करना भी दिशा में आवश्यक कदम उठाये हैं जो इस प्रकार हे–

- ❖ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
- ❖ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- ❖ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019
  (तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाना)
- ❖ बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019
- ❖ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
- ❖ सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2020
- ❖ गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं के अधिकार :–

पुरुषों के समान महिलाओं को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए प्रमुख अधिकार इस प्रकार है–

(1) समानता का अधिकार अर्थात् अवसरों की समानता कानून के समक्ष समानता, कानूनों का समान संरक्षण तथा नौकरियों आदि में लिंग के आधार पर भेदभाव न समझा जाना।

(2) स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात् भाषण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता एवं व्यवसाय एवं गतिशीलता की स्वतंत्रता।

(3) शोषण के विरूद्ध स्वतंत्रता अर्थात् 'बेगार' के विरूद्ध स्वतंत्रता।

(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात् उपदेश तथा धर्म का स्वतन्त्रतापूर्वक अनुपालन।

(5) सम्पत्ति का अधिकार, अर्थात् सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने का अधिकार।

(6) सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अर्थात् संस्कृति का संरक्षण तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार।

(7) संवैधानिक उपचार का अधिकार, अर्थात् मौलिक अधिकारों व लागू करने के लिए न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार।

महिला सशक्तिकरण के लिये सरकार द्वारा चलाये गये योजनायें जो इस प्रकार है–

- **स्वधारा :–** वर्ष 2001–02 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वधारा योजना शुरू की गयी जो कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ के लिए बनाई गयी।

- **स्वर्णिम योजना :–** भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं हेतु जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2002 में संचालित की गयी।

- **महिला समाख्या योजना :–** इस कार्यक्रम की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में की गयी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाना तथा उसे क्रियान्वित करवाना है।

- **आशा योजना :–** इस योजना की शुरूआत 11 फरवरी 2005 को की गयी। योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती का प्रावधान है।

- **स्वशक्ति :–** यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से यह योजना हरियाणा, विहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखण्ड में महिला विकास निगमों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना को उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना है।

- **अल्पावधि प्रवास गृह :–** अल्पावधि प्रवास गृह परियोजना की शुरूआत वर्ष 1969 में की गयी। इसे अप्रैल 1999 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना तथा उनका पुनर्वास करना।

निःशुल्क बालिका शिक्षा/इंदिरा गाँधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना :

केन्द्र सरकार द्वारा 22 सितम्बर 2005 को लिये गये निर्णयानुसार बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब माता–पिता की अकेली बेटी को छठीं से बारहवीं कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

- **बालिका प्रोत्साहन योजना :–** वर्ष 2006–07 के वार्षिक बजट में घोषित इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 8 पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाती है।

- **किशोरी शक्ति योजना :–** वर्ष 2001 में केन्द्रीय सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये किशोरी शक्ति योजना को संचालित किया।

- **महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना :–** यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2001 को घोषित की गयी। इसके अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों के द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है।

- **उज्जवला योजना :–** महिलाओं की खरीद–फरोख्त की रोकथाम तथा व्यवसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास और फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केन्द्र प्रयोजित व्यापक स्कीम उज्जवला का शुभारंभ 4 सितम्बर 2007 को किया गया।

- **राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम :–** भारत सरकार ने इस योजना की शुरूआत 2010–11 में की। इसके अंतर्गत 11–18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य इत्यादि।

- **महिलाओं के सशक्तिकरणस के लिए राष्ट्रीय मिशन :–** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कार्यक्रमों का अभिसख सुनिश्चित करके भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिये भारत सरकार की एक पहल के रूप में 8 मार्च 2010 को इसको गठित किया गया।

- **महिला किसान सशक्तिकरण योजना :–** वर्ष 2010 में इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत कृषक महिलाओं और कृषि महिला मजदूरों को चयनित कर कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

- **स्त्री शक्ति पुरस्कार :–** भारतीय महिलाओं ने आजादी के बाद अनेक भूमिकाएँ निभायी है और अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। इस प्रकार महिलाएँ अपनी पहचान बनाए जिससे अगली पीढ़ियों के लिए उनकी भूमिका प्रतिरूप बन सके। इस दृष्टि से भारत सरकार ने 1999 में शक्ति के नाम से 5 पुरस्कार शुरू किये गये।

केन्द्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपनी–अपनी परिस्थितियों में महिला विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए परिवेश के निर्माण में सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रयासों में–

- 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना।
- 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना।
- 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना।

- 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना इत्यादि इसके अतिरिक्त महिला अधिकारों के प्रति आकृष्ट करने के लिए एवं उनके गरिमामयी उत्थान के लिए वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाया जाता है।

सुझाव :

(1) महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए कि उन्हें शिक्षित किया जाये।

(2) जब महिलाएँ शिक्षित होंगी तो यह अपने परिवार और समाज को भी शिक्षित करेंगी साथ ही वह अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानेंगी।

(3) महिलाओं को हर क्षेत्र में जैसे– शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सेवा जैसी जरूरी अवसरों और संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिये।

(4) महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएँ अपनी बातों को व तर्कों को समाज के सामने मजबूती से रख पाती हैं।

(5) आर्थिक रूप से मजबूत महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत होती हैं और ये उन्हें स्वयं में सशक्त बनाती हैं।

(6) महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे स्वयं का रोजगार खोल सकें और अन्य महिलाओं को शिक्षित कर सके तथा उन्हें प्रेरणा दे सकें।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शायद ही आज कोई क्षेत्र ऐसा हो जहाँ महिलाएँ अपनी उपस्थिति का आभास न करा रही हों साथ ही भारत के महिलाओं के कल्याण एवं विकास की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियाँ बनायी गयी हैं। महिलाओं हेतु सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिससे उनकी सहभागिता एक वांछित न्यूनतम स्तर तक अवश्य हो सके एवं महिलाओं को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। परन्तु महिला विकास की इन नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निचले स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किए बिना अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा अब समय का तकाजा है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता पुनः नये सिरे से निर्धारित की जाये और संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाये कि सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों और सही क्षेत्रों तक पहुँच सके। इस प्रकार के कुछ व्यावहारिक कदम उठा करके सदियों से उपेक्षित रही इस आधी आबादी महिलाओं में नयी स्फूर्ति लायी जा सकती है।

सशक्तिकरण के द्वारा ही पुरुषों के नजरियों में बदलाव लाने में काफी हद तक सफल हुआ है फिर चाहे वह बदलाव बाध्यकारी नीतियों से या जागरूकता से ही क्यों न आ रही हो।

सामाजिक परिदृश्य में महिला मजबूर नहीं मजबूत नजर आ रही है। अपने एवं परिवार से सम्बन्धित निर्णयों में वह काफी हद तक केन्द्रीय भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। महिला अधिकारों ने ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया है जिससे वे संगठित होकर अपने सतत् विकास को प्राप्त कर रही है। महिला अधिकार की कसौटी पर खरी उतरने वाली पंचायतों में 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से अधिक महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ। महिला अधिकारों ने सशक्तिकरण की दशा में जो बढ़ा हुआ आधार तय किया है उसमें शिक्षा एक मील का पत्थर सबित, शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। अपनी क्षमताओं से महिलाओं ने रोजगार के सभी क्षेत्रों में न केवल दस्तक दे दी है वरन् मजबूती के साथ अपने अस्तित्व का मौजूदगी दर्ज कराया है। कामयाबी की नई–नई मिसालें बन रही महिला सशक्तिकरण के उदाहरण है। इन्हीं अधिकारों की बदौलत सामाजिक बदलाव में

महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है जिसको पुरुष भी स्वीकार कर रहे हैं। महिलाएँ हमारे समाज का एक हिस्सा है और उनकी तरक्की को किसी भय या शक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

संदर्भ

- योजना सितम्बर (2023), महिला सशक्तिकरण हाल के सुधार, पृ0सं0 51, 52, 53
- कुरूक्षेत्र मार्च 2015, महिला सशक्तिकरण के लिए 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' यो0, पृ0सं0 15, 27, 28, 29, 30
- भारतीय समाज में महिलाएँ, देशाई नीरा, ठक्कर उषा, पृ0सं0 10, 11, 13, 14
- कुरूक्षेत्र, मार्च 2015, पृ0सं0 4
- महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज, धावन हरिमोहन, कुमार अरूण, पृ0सं0 193, 121, 140
- भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, लवानिया डॉ0 एम0एम0, पृ0सं0 144, 43, 44
- https://www.socialsciencejournal.in
- https://www.ijrrssonline.in
- महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा, शर्मा योगेन्द्र
- महिला सशक्तिकरण, गुप्ता कुमार कमलेश, प्रथम संस्करण 2007
- समाज कार्य एवं समाज कल्याण, पाण्डेय बालेश्वर, पाण्डेय तेजस्कर, सिंह दिनेश कुमार
- सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य, पाण्डेय बालेश्वर, पाण्डेय तेजस्कर

❖

उत्तर प्रदेश के कृषि मजदूरों की चुनौतियों का समीक्षात्मक अध्ययन

राम सिंह'

सारांश : भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश राज्य की एक बड़ी आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य के कृषि क्षेत्र में, कृषि श्रमिकों की बड़ी आबादी (भूमिहीन और छोटे–सीमांत श्रमिक) की है। कृषि पर निर्भर यह बड़ी आबादी आज भी गरीबी कि भंवरजाल में फंसी हुई है। ये कृषक समुदाय (भूमिहीन और छोटे किसान) कृषि क्षेत्र से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए थे और इसके आश्रितों को कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का पालन करते हुए गरीबी कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य ने भी अन्य राज्यों की तरह महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किए किन्तु राज्य की लगभग 65 प्रतिशत से अधिक आबादी अपने जीवन यापन के लिए आज भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर अत्यधिक जनसँख्या की अधिक होने के कारण इससे सम्बंधित चुनौतियां भी बहुत हैं। इस अध्ययन का प्रमुख्य उद्देश्य इससे सम्बंधित समस्याओं और चुनौतियों का विश्लेषणकरनाहैं।

शब्दबिंदु : कृषि श्रमिक, उत्तर प्रदेश, कृषि अर्थव्यवस्था, जनसँख्या, रोजगार।

प्रस्तावना : भारत में उत्तर प्रदेश राज्य जनसँख्या की दृष्टि से प्रथम और क्षेत्रफल दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त राज्य हैं। उत्तरप्रदेश की जनसंख्या का लगभग दो–तिहाई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूलआधार कृषि है लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत से अधिक आबादी अपने जीवन यापन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2014–15 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हैक्टेयर (68.7प्रतिशत) क्षेत्र में खेती की जाती है। कृषि गणना वर्ष 2010–11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 233.25 लाख कृ षक हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास का ही परिणाम है कि कृषि ने प्रदेश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाते हुये "आवश्यकता से आधिक्य" की ओर पहुँचाया है। यह खाद्यान्न आपूर्ति के साथ–साथ उद्योगों के लिए कच्चेमाल की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत भी है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 17 प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य से ही आता हैं। उत्तर प्रदेश की विशाल उपजाऊ भूभाग और जल संसाधन देश कि खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्पूर्ण भूमिका निभाता हैं। इन तमाम फायदों के बावजूद कृषि श्रमिकों की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं है। यह स्पष्ट रूप से राज्यों में कृषि परिवारों की आय

'असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर.

में मौजूदा अंतर–राज्य भिन्नता में परिलक्षित होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय देश के अन्य राज्यों की तुलना में कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय से कम हैं।

उद्देश्य

- कृषि श्रमिकों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का अध्ययन करना।
- कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाये गए कार्यकर्मो का अध्ययन।

कार्यविधि

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश कृषि श्रमिको से सम्बंधित चुनौतियां पर है और इसके प्रयोग की गई कार्यविधि द्वितीयक स्रोतो पर आधारित हैं। जिसमे इस विषय से समन्धित साहित्यिक, अध्ययन, प्रकाशित शोधपत्र सरकारी एवं प्रमाणित पत्रिकाएँ, जर्नल, मंत्रालीय रिपोर्ट, एवं प्रमाणित वेबसाइट आदि।

साहित्य समीक्षा

भारतीय अर्थव्यवस्थाको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभगदो–तिहाई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। यह खाद्यान्न आपूर्ति के साथ–साथ उद्योगों के लिए कच्चेमाल की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत भी है। कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का सकल राज्य घरेलूउत्पाद में योगदान वर्ष 2014–15 में 26. 0प्रतिशत रहा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। जनगणना 2011 के अनुसार है देश के कुल कार्यबल का लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के कार्यकलापो में लगी हुई है। वर्ष 2019–20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.5 प्रतिशत था। भारत के पड़ोसी देशों की कृषिश्रमिकों की रोजगारस्थिति इस प्रकारहै चीन–23.6प्रतिशत, पाकिस्तान–36प्रतिषत, नेपाल–64.54प्रतिशत, श्रीलंका–23.73, बांग्लादेश–38.3प्रतिशत(2019)। कृषि क्षेत्र एवं कृषिश्रमिकों की इस स्थिति का सबसेबड़ाकारण बढ़ती हुईजनसंख्या का आकार, क्योंकिदेश की भूमि का आकारविश्व का मात्र 2.4 प्रतिशतहैजिसपरविश्व की कुलआबादी का लगभग 17.5 प्रतिशत निवास करती है। भूमि सुधार की समस्याएँ, भूमि का असमान वितरण और भूमि का छोटे–छोटे टुकड़ों मे विभाजित होना कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी की समस्या उभरती है। कृषि गणना 2005–06 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे कुल जोतों में से एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78 था, जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश मे जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के कृषि श्रमिक और उनकी प्रमुख चुनौतियॉ :

कृषि–साख (एग्रीकल्चर क्रेडिट) की समस्या किसानों की एक प्रमुख समस्या है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी एक–तिहाई से अधिक किसान अपनी साख–संबंधी जरूरतों के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर हैं, जहाँ ब्याज की दर आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60–150 प्रतिशत तक है। विगत पचास वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद, भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आँकड़े अभी भी निराशा जनक हैं।

भारत में, कृषि मजदूरी बहुत कम है। प्रथम कृषि श्रम जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कृषि श्रमिक परिवारों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1950–51 में 104 रुपये जितनी कम थी और परिवार की वार्षिक औसत आय 447 रुपये थी। उन्नत खेती के तरीकों की शुरुआत और मशीनीकरण के बाद मध्यम और अमीर किसानों की आय के स्तर में वृद्धि हुई लेकिन साथ ही साथ श्रम की मांग में गिरावट के कारण वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई।

भारत में खेतिहर मजदूर गंभीर बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि रोजगार का कोई वैकल्पिक स्रोत नही है। हालांकि बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है लेकिन एनएसएस (32 राउंड) के अनुसार भारत मे अभी भी लगभग 3.5 लाख बंधुआ मजदूर मौजूद हैं।

कृषि श्रमिकों की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक

- आजादी के 7 दशकोंबाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिये स्थानीय व्यापारियो और मध्यस्थो पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य नही प्राप्त हो पाता।
- चूंकि कृषि कार्य मौसमी होते हैं इसलिए कृषि श्रमिको का अक्सर मौसमी बेरोजगारी और कम रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ता है। कृषि श्रमिको को एक वर्ष मे औसतन लगभग 200 दिनों का रोजगार मिलता है।
- ग्रामीण क्षेत्रो में वैकल्पिक व्यवसाय के अभाव में कृषि श्रमिको को मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित होने पर वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल रहा है।
- भारत मे कृषि मजदूर अत्यधिक ऋणी हैं। चूंकि मजदूरी का स्तर बहुत कम है, इसलिए खेत मजदूर जमींदारों से उधार लेते रहे है और अंततः बंधुआ मजदूर बन गए हैं।
- विगत पचास वर्षों के दौरान हरित क्रांति कोअपनाए जाने के बाद, भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आँकड़े अभी भी निराशाजनक हैं।

कृषि श्रमिकों की स्थिति मे सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय

भारत में खेतिहर मजदूरों की स्थिति मे सुधार के लिए केंद्रऔरराज्य सरकारोंदोनों ने आजादी के बाद से कई कदम उठाए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :

बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन:

स्वतंत्रता के बाद कृषि गुलामी को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म करने के लिए विधायी उपाय किए हैं। तदनुसार, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 पारित किया गया और लगभग 2.51 लाख बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई और देश के विभिन्न हिस्सों में उन्हे मुक्त किया गया।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम:

1948 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था और राज्य सरकारों को तदनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने की सलाह दी गई थी। लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अधिकांश राज्य 1974 तक न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सके।

भूमिहीन मजदूरों का वितरण:

भूमिजोत की सीमा निर्धारित करने के लिए कानून पारित करने के बाद, राज्य सरकार ने अधिशेष भूमि का अधिग्रहण किया और इसे भूमिहीन मजदूरों के बीच वितरित कर दिया। अधिशेषभूमि के रूप मे लगभग 74 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इसमें से 45 लाख एकड़ को 41.5 लाख भूमिहीन मजदूरों के बीच वितरित किया गया था। लेकिन इनमें से अधिकांश वितरित भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है।

आवास स्थलों के लिए प्रावधान:

विभिन्न राज्यों ने कृषि श्रमिकों को आवास स्थल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कानून पारित किए हैं। दूसरी और चौथी योजना ने इस उद्देश्य के लिए कई कदम उठाए हैं। पुन: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आवास स्थल सह आवास निर्माण योजना को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

विभिन्न रोजगार योजनाएँ:

कृषि मजदूरों के बीच रोजगार के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इन योजनाओ में शामिल हैं :

- ग्रामीण कार्य कार्यक्रम
- ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना
- काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
- जवाहर रोजगार योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तो मे भुगतान किय ाजाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातो मे जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है।

विशेष एजेंसियां:

चौथी योजना के दौरान दो विशेष एजेंसियां 1. लघु किसान विकास एजेंसी 2. सीमांत किसान और कृषि मजदूर विकास एजेंसी (एम एफ ए एल ए), सिंचाई, भूमि समतलीकरण, मृदासंरक्षण, डेयरी विकास, सुअर पालन विकास, कुक्कुट पालन आदि जैसे विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए विकसित किए गए थे। पांचवीं योजना के दौरान दोनों एजेंसियो को एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया था।

20–सूत्रीय कार्यक्रम:

सरकार ने जुलाई 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति मे सुधार के लिए कदम उठाए गए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रगति के सुनहरे अतीत पर खड़ा भारतीय कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में सदैव ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अत प्रतिषत इससे जुड़े कृषि श्रमिकों की स्थिति मे सुधार के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाने कि आवश्कता है। इसके संबंध मे सुझाव है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को गंभीरता से लागू करें, ग्रामीण क्षेत्रो में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास कर रोजगार के वैकल्पिक स्रोत सृजित करना, खेतिहर मजदूरों की कार्यदशाओ में सुधार लाना, खेतिहर मजदूरों की कार्यदशाओ में सुधार लाना तथा सहकारी खेती को बढ़ावा देना, आदि महत्वपूर्ण कदम उठाने कि आवशकता हैं।

सन्दर्भ

- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008); श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नईदिल्ली।
- रामेश्वर लाल कोसरे (2008);"कृषि क्षेत्र मे ंकार्यरत भूमिहीन कृषकों का आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण"।
- वर्मा श्रीमती चारुस्मिता (2005);"दुर्ग जिले के बालोद तहसील के कृषि क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों का आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का अध्ययंन"।
- Govt. of Uttar Pradesh) 2012;(Statistic of Uttar Pradesh 2012, Lucknow Economic and Statistics Division.
- Govt. of Uttar Pradesh 2008, Uttar Pradesh Human Development Report Lucknow, State Planning Commission.
- All India Report on Agriculture census 2010-11.
- Government of India, 2000 National Agriculture Policy 2000, New Delhi, Ministry of Agriculture.
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
- https://uplabour.gov.in/

❖

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय मध्यकालीन इतिहास की ग्राह्यता

आशीष श्रीवास्तव^

सारांश

इतिहास का अध्ययन हमें अतीत की घटनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है , जो वर्तमान के मूल्यांकन और भविष्य व भविष्य के मार्गनिर्देशन का मार्ग प्रशस्त करता हैं। मध्यकालीन इतिहास के कालखंडों ने समाज , राजनीति, संस्कृति और विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस शोध पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि भारतीय मध्यकालीन कालखंडों की ऐतिहासिक घटनाएँ आज के समाज पर कैसे प्रभाव डालती हैं और इनकी ग्राह्यता आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावना

इतिहास को अक्सर मृत और बीता हुआ समझ लिया जाता है , लेकिन इतिहासकार जिस इतिहास का अध्ययन करते हैं, वह कभी मृत नहीं होता। यह अतीत की तुलना में भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है और वर्तमान को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। प्रोफेसर रोमिला थापर ने एक बार कहा था: यह एक अजीब विरोधाभास है" कि एक इतिहासकार, जो पेशेवर रूप से अतीत से जुड़ा हुआ है , वह उस समाज के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। इतिहासकार की रुचि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समाज के उद्भव और विकास को समझने की कोशिश करने में निहित है, जहां समाज शब्द में लोगों के जीवन का हर पहलू शामिल है।'

भारत का मध्यकालीन इतिहास)700 ई से लेकर .1700 ईन केवल भारतीय राजनीति (तक ., संस्कृति और समाज के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है , बल्कि यह वर्तमान भारतीय समाज और राज्य की संरचना में भी गहरे प्रभाव डालता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास शाही संघर्षों , धार्मिक विचारधाराओं, सांस्कृतिक नवाचारों, विदेशी आक्रमणों और साम्राज्य की स्थापना के दौर से भरा हुआ है। इस काल में जो राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएँ विकसित हुईं , उनका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में महसूस किया जाता है।

भारत में आधुनिक इतिहास लेखन का उदय भारतीय इतिहास को समझने के ब्रिटेनवासियों के प्रयास से हुआ। 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इतिहास को हिंदू , मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। वहां से इतिहास लेखन राष्ट्रवादी काल में विकसित हुआ , जिसमें आरसी मजूमदार, एमजी रानाडे, वीके राजवाड़े और केपी जायसवाल जैसे विद्वानों ने के औपनिवेशिक दृष्टिकोण के विपरीत भारत के प्राचीन अतीत को "असभ्य" गौरवान्वित करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वतंत्रता के बाद इतिहास की उन इतिहासकारों द्वारा पुनर्व्याख्या की गई जो पेशेवरूप से इतिहास लेखन में शामिल थे और इतिहास को विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों जैसे

^शोध छात्र (इतिहास ०) लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा

उत्पादन के तरीके में बदलाव को समायोजित करने के संदर्भ में समझते थे और एक धर्मनिरपेक्ष रूप प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। बाद में दलित, सबाल्टर्न और आदिवासी इतिहास लेखन जैसे स्कूलों ने भी अतीत की हमारी समझ को प्रभावित किया।

वर्तमान परिपेक्ष में भारतीय मध्यकालीन इतिहास की ग्राह्यता को समझने के लिए हमें इस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं, संघर्षों और विकासों का विश्लेषण करना होगा, और यह देखना होगा कि ये घटनाएँ आज के भारत पर कैसे प्रभाव डालती हैं।

1. भारतीय मध्यकालीन इतिहास का काल

भारतीय मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत लगभग 7 वीं सदी से मानी जाती है, जब भारत में बड़े साम्राज्य और राज्यों का विकास हुआ। इस काल को तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है

प्रारंभिक मध्यकाल)700-1200 ई:(. इस समय में उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उभार हुआ , जबकि दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल साम्राज्य शक्तिशाली थे।

मध्यकाल)1200-1500 ई:(. इस समय में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ और इस्लामी साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित हुआ।

उत्तरी मध्यकाल)1500-1700 ई:(. इस काल में मुगल साम्राज्य का उत्थान हुआ , जो भारतीय राजनीति और संस्कृति पर गहरे प्रभाव डालने वाला था।

2. राजनीतिक परिवर्तन और शासन व्यवस्थाएँ

मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कई बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। दिल्ली सल्तनत के शासन से लेकर मुघल साम्राज्य तक, इन बदलावों ने भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आकार दिया।

दिल्ली सल्तनत : दिल्ली सल्तनत)1206-1526) का शासन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, और फिरोज तुगलक जैसे शासकों ने शासन किया। इन शासकों के समय में राज्य की संरचना , सेना, और प्रशासन में सुधार किए गए, जो बाद में मुघल साम्राज्य के प्रशासन के लिए आधार बने।

मुगल साम्राज्य : मुगल साम्राज्य)1526-1857) भारतीय राजनीति और समाज के लिए निर्णायक था। अकबर , शाहजहाँ और औरंगजेब जैसे शासकों के तहत, मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत केंद्रीय शासन प्रणाली स्थापित की। अकबर के दौरान धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय समाज को गहरे तरीके से प्रभावित किया।

साम्राज्य और संघर्ष : मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न साम्राज्य और क्षेत्रीय राज्य उभरे , जैसे विजयनगर साम्राज्य, बंगाल सुलतानत, और मालवा सुलतानत। इन साम्राज्यों के बीच के संघर्षों ने भारतीय राजनीतिक इतिहास को आकार दिया और समकालीन संघर्षों का आधार बने।

3. धर्म, संस्कृति और समाज में बदलाव

मध्यकालीन भारत का समाज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण था। इस काल में धार्मिक विचारधाराओं का संघर्ष और सांस्कृतिक नवाचार महत्वपूर्ण थे।

इस्लाम का आगमन और प्रभाव मध्यकाल में इस्लाम धर्म के आगमन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। दिल्ली सल्तनत के समय में इस्लामी धर्म और संस्कृति ने भारतीय परंपराओं के साथ मेलजोल किया , जिससे भारतीय संस्कृति में एक नया मोड़ आया। मस्जिदों, मदरसों, और इस्लामी स्थापत्य कला का विकास हुआ।

हिंदू इस्लामी सांस्कृतिक समागम- मध्यकालीन भारत में हिंदू और इस्लामी संस्कृति का मिश्रण हुआ। इसे गंगा जमुनी-तहजीब कहा जाता है। इसमें संगीत, वास्तुकला, और साहित्य में सांस्कृतिक समागम देखा गया। कुतुब मीनार , ताज महल, और अकबर की प्रशासनिक नीतियाँ इसका उदाहरण हैं।

भक्ति आंदोलन और सूफी संतों का प्रभाव मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संत कबीर , संत तुकाराम, संत मीराबाई और सूफी संत जैसे गुरु समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाते थे।

4. आर्थिक और सांस्कृतिक विकास

मध्यकाल में व्यापार, उद्योग और कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मुघल साम्राज्य के दौरान , भारत के कई हिस्सों में स्थिरता आई, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला।

वाणिज्य और व्यापार : मध्यकाल में भारत वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मुघल साम्राज्य और अन्य राजवंशों के काल में भारत से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वस्त्र, मसाले, रत्न और कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। भारत और अरब, अफ्रीका, यूरोप के व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत थे।

कला और स्थापत्य : मुगल काल के दौरान वास्तुकला और कला में महत्वपूर्ण विकास हुआ। ताज महल , कुतुब मीनार, लाल किला, और जामा मस्जिद जैसी संरचनाएँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन संरचनाओं ने भारतीय स्थापत्य कला को एक नया दिशा दी।

5. मध्यकालीन भारत की ग्राहयता का विश्लेषण

वर्तमान समय में मध्यकालीन इतिहास की ग्राहयता को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस काल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आज के भारत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

A. राजनीतिक संरचना और शासन

मध्यकालीन भारत में राजनीतिक संरचना की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस समय भारत में कई विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों का प्रभुत्व था। दिल्ली सल्तनत , मुघल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य और अन्य स्थानीय राजवंशों ने भारतीय राजनीति की धारा को प्रभावित किया।

दिल्ली सल्तनत)1206-1526) ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखी। कुतुब दीन ऐबक से-उद-लेकर इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक तक के सुलतानोंने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इन शासकों ने प्रशासन, न्याय व्यवस्था और सैन्य संगठन को मजबूत किया। उदाहरण के तौर पर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया और भारत के विभिन्न भागों में मंगोल आक्रमणकारियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की। वहीं तुगलक शासकं मुहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों का प्रयास किया।

मुगल साम्राज्य)1526-1857) ने भारतीय राजनीति पर अत्यधिक प्रभाव डाला। बाबर से लेकर अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब तक मुघल शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर राज किया। अकबर का शासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से समाज को समृद्ध किया। अकबर के समय में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली विकसित हुई, जो भारतीय राजनीति में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। अकबर ने को प्रस्तुत किया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश (दीने इलाही) "नया धर्म" की।

मध्यकालीन भारत में मराठा साम्राज्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिवाजी ने एक सशक्त प्रशासनिक तंत्र और सैन्य संगठन की स्थापना की। उनकी राजनीति और शासन का एक प्रमुख तत्व था अर्थात् स्वतंत् "स्वराज"रता और भारतीय संस्कृति की रक्षा।

B. समाज और जातिवाद

मध्यकालीन भारत में समाज और जातिवाद की संरचना भी महत्वपूर्ण रही। इस काल में जातिवाद की संस्था और अधिक मजबूत हुई, जबकि मुस्लिम शासकों के आगमन से हिंदू समाज में कुछ बदलाव देखने को मिले।

जातिवाद और सामंती समाज

मध्यकालीन भारत में जातिवाद की संरचना स्थिर और सख्त रही। हिंदू समाज में ब्राहमण , क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियाँ बनीं, और इन जातियों के बीच सामाजिक विभाजन बहुत स्पष्ट था। हालांकि इस समय में समाज में कुछ सुधार भी हुए थे, जैसे भक्ति आंदोलन, जिसने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई।

मुस्लिम समाज

मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद मुस्लिम समाज की संरचना भी भारतीय संदर्भ में विकसित हुई। मुस्लिम शासकों ने अपने शासन के दौरान सामाजिक रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच अंतर स्थापित किया। हालांकि , मुघल शासकों ने कभी भी हिंदू समाज को पूरी तरह से अलग करने का प्रयास नहीं किया , लेकिन इस्लामिक शासन में विभिन्न प्रशासनिक और धार्मिक नीतियाँ लागू की गईं, जो हिंदू समाज के लिए कठिन हो सकती थीं।

सामाजिक सुधार आंदोलनों का योगदान

मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जैसे धार्मिक आंदोलनों ने समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत जैसे रामानुज , मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास ने अपने काव्य और भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में समानता , प्रेम और मानवता का संदेश दिया। सूफी संतों ने इस्लाम की सिखाई गई सहिष्णुता और प्रेम का प्रचार किया और भारतीय समाज में धर्म के प्रति एक अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण विकसित किया।

C. धर्म और संस्कृति

मध्यकालीन भारत में धर्म और संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव था। इस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न धार्मिक विचारधाराएँ और संस्कृतियाँ आपस में मिलीं , और यही मिश्रण भारतीय समाज की विविधता को आकार देने का एक प्रमुख कारण बना।

इस्लाम का प्रभाव

मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद इस्लाम ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत और मुघल साम्राज्य के दौरान, इस्लाम ने भारत में एक नई धार्मिक पहचान बनाई। हालांकि इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच संघर्ष भी हुआ, लेकिन अकबर जैसे शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया।

हिन्दू धर्म और संस्कृति

हिंदू धर्म इस काल में भी भारतीय समाज का प्रमुख धर्म रहा। मध्यकालीन भारत में धर्म, संस्कृति, और समाज के बीच गहरा संबंध था। काव्य साहित्य, संगीत, नृत्य और चित्रकला में हिंदू संस्कृति का विशेष योगदान था। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म को एक नया रूप दिया और लोक जागरण का कार्य किया। इस समय के दौरान , रवींद्रनाथ ठाकुर, सूरदास, तुलसीदास और अन्य कवियों और संतों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया।

मिश्रित संस्कृति

मध्यकालीन भारत में इस्लाम और हिंदू धर्म की मिलीजुली संस्कृति विकसित हुई। इस काल में हिंदू और मुस्लिम कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला में कई मिश्रित तत्व दिखाई देते हैं। मुघल वास्तुकला का उदाहरण ताज महल , कुतुब मीनार और लाल किला है, जो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का आदान-प्रदान करते हैं।-

D. अर्थव्यवस्था और व्यापार

मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प उद्योग पर निर्भर थी। इस समय में व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भारत था, और भारत ने दुनिया के कई देशों से व्यापारिक संबंध बनाए।

कृषि और उद्योग

मध्यकालीन भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। मुघल शासकों के समय में , भूमि कर और राजस्व व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया, जिससे भारतीय कृषि को बढ़ावा मिला। इसके अलावा, हस्तशिल्प उद्योग, जैसे कपड़ा, धातु, और कागज उत्पादन, भी महत्वपूर्ण थे।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार

मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा नेटवर्क था। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों से व्यापारिक मार्गों के माध्यम से, भारत ने अरब देशों, अफ्रीका, चीन, और यूरोप से व्यापार किया। भारत के मसाले, रेशम, और कपड़े दुनिया भर में प्रसिद्ध थे।

E. स्थापत्य और कला :

भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य कला का प्रभाव आज भी भारत में देखा जा सकता है। मुगल काल के किलों , मस्जिदों और महलों ने भारतीय स्थापत्य में एक अमिट छाप छोड़ी है। मुगल काल के दौरान एक नई स्थापत्य शैली विकसित हुई, जो हिंदू और इस्लामी कला का मिश्रण थी। आज भी ताज महल और लाल किला जैसे स्मारक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्व रखते हैं।

मुगल वास्तुकला

मुगल साम्राज्य ने भारतीय स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ताज महल, कुतुब मीनार और लाल किला जैसे स्मारक इस काल की महान स्थापत्य कला का उदाहरण हैं। इन स्मारकों में इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत संगम दिखाई देता है।

चित्रकला और संगीत

मध्यकालीन भारत में चित्रकला और संगीत का भी महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल काल में, शाही दरबारों में चित्रकला को बढ़ावा दिया गया और कई प्रसिद्ध चित्रकारों ने राजघरानों के लिए चित्र बनाए। संगीत में हिंदुस्तानी और कर्नाटिक संगीत की परंपराओं ने आकार लिया।

6. वर्तमान में भारतीय मध्यकालीन इतिहास की उपादेयता

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन आज के भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि भारतीय समाज और राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ और हम किन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से गुजरकर वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं।

विविधता में शक्तिः भारत के मध्यकालीन काल में हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य थर्मों का सह-प्रदान को बढ़ावा दिया-अस्तित्व देखा गया। इस धार्मिक बहुलवाद ने सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान, जो हमें विविधता को अपनाने और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने की शक्ति- की याद दिलाता है।

व्यापार के माध्यम से समृद्धिः इस युग में भारत को दुनिया के अन्य भागों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का विकास हुआ। यह आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में वैश्विक वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को उजागर-करता है।

भाषाओं का समृद्ध इतिहासः संस्कृत तमिल , तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ सह - अस्तित्व में थीऔर उनके विकास को प्रभावित करती थी। यह अवधि भाषाई विविधता को संरक्षित करने और उसका जश्न मनाने के महत्व को रेखांकित करती है।

विलय की शक्तिः इस समय के दौरान विभिन्न जातीय समूहों और धर्मों के बीच परस्पर क्रिया ने एक अनूठी को जन्म दिया जो आज भी भारत को परिभाषित करती है। यह सांस्कृतिक विलय की समृद्ध क्षमता और "समग्र संस्कृति" साझा विरासत की सुंदरता की याद दिलाता है।

कला और वास्तुकला भारत के मध्यकालीन काल को समझने से :हमें इसकी समृद्ध संस्कृति और जटिल सामाजिक ताने बाने की जड़ों की सराहना करने का मौका मिलता है। भारत का मध्यकालीन काल सहिष्णुता-, विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है जो हमारी वैश्वीकृत दुनिया के लिए - प्रासंगिक है।

सांस्कृतिक विविधता और एकता मध्यकालीन भारत में विभिन्न धार्मिक , सांस्कृतिक और सामाजिक विचारधाराओं का एकत्रित होना आज भी भारतीय समाज की पहचान है। इस समागम से समाज में सहिष्णुता और एकता की भावना को बढ़ावा मिला है।

राजनीतिक संरचना का प्रभाव मुगल काल की :प्रशासनिक प्रणाली और राज्य व्यवस्था ने भारतीय राजनीति को संरचित किया, जिससे आज के भारतीय लोकतंत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव पड़ी।

अतीत से सीखना, भविष्य को आकार देनाः मध्ययुगीन साम्राज्यों की सफलताओं और असफलताओं का अध्ययन आधुनिक विश्व में जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष :

भारतीय मध्यकालीन इतिहास न केवल अतीत की घटनाओं का दस्तावेज़ है , बल्कि यह आधुनिक भारतीय समाज की समझ और निर्माण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल के राजनीतिक , सांस्कृतिक, और सामाजिक परिवर्तनों ने भारतीय समाज को आकार दिया और आज भी उनकी छाप हमारे जीवन में देखी जाती है। मध्यकालीन इतिहास की ग्राहयता आज के समय में इसलिए महत्वपूर्ण है , क्योंकि यह हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है , बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे हम वर्तमान में विविधता , सहिष्णुता और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। डॉ बीआर अंबेडकर की कही बात याद रखनी चाहिए, "वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं।"

संदर्भ

- Eshan Sharma "Are We Moving Towards a Medieval Understanding of History?- https://m.thewire.in/article/history/are-we-moving-towards-a-medieval-understanding-of-History.
- लाल बहादुर वर्मा "इतिहास के बारे में", प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 1984
- ईइतिहास क्या है" कार .एच.?, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1961
- मोहम्मद हबीब एवं केदिल्ली सुल्तनत" निजामी .ए.' मेकिमिलन इडिया लिमिटेडपुर्नमुर्दण ., 1997
- आर्शीवादीलाल श्रीवास्तव, "भारत का इतिहास", आगरा, 1976
- अशरफ केहिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियाँ" .एम ., दिल्ली, 1990
- अवध बिहारी पाण्डेय पूर्व मध्यकालीन भारत", तथा उत्तर मध्यकालीन भारतलखनऊ ", 1955
- ईश्वरी प्रसाद भारतीय मध्य युग का इतिहास", इलाहाबाद, 1966
- झारखण्डे चौबे एवं कन्हैयालाल श्रीवास्तव लखनऊ "मध्य युगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति"1979
- अशोक श्रीवास्तव, "दिल्ली सलानत का उत्थान एवं पतनगोरखपुर ", 1998
- परमानन्द लाल श्रीवास्तव, "दिल्ली सुल्तानों की उत्तर पश्चिम सीमा-नीतिइलाहाबाद ", 1989
- परमानन्द लाल श्रीवास्तव, "मध्यकालीन भारत मे हिन्दू मुस्लिम सदभाव", दिल्ली, प्रथम संस्करण

❖

Professor Rishikesh Singh

Editor in Chief

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

Publisher

FLASH PUBLICATION

Basant Bihar, Janaki Nagar Colony, Bahraich Road, Gonda (U.P.)

Mob. 9415458974